

कार्यालय : अंचल अधिकारी, हण्टरगंज (चतरा)।

ज्ञापांक...202

दिनांक.....01/03/21

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
हण्टरगंज, चतरा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी
चतरा ।

विषय:- 132 KV संचरण लाईन (हण्टरगंज, चतरा) निर्माण में अपयोजित भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा की कार्यवाही का प्रेषण।

प्रसंग:- अपर समाहर्ता चतरा पत्रांक- 268/रा0 दिनांक 29.01.2021

महाशय्

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के निदेशानुसार 132 KV संचरण लाईन (हण्टरगंज, चतरा) निर्माण में अपयोजित गैरमजरूवा खास जंगल-झाड़ी भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत संबंधित ग्राम में ग्राम-सभा की गई। ग्राम सभा की प्रति संलग्न है, जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

[illegible]

20	हण्टरगंज	कठौन	171	9	NIL	NIL	JJ	0.66288
21	हण्टरगंज	कठौन	171	21	NIL	NIL	JJ	0.0156
कुल								0.67848
22	हण्टरगंज	गोबरडीह	169	155	NIL	NIL	JJ	0.16157
23	हण्टरगंज	गोबरडीह	169	145	NIL	NIL	JJ	0.03386
कुल								0.19543
24	हण्टरगंज	गोबरडीह	273	221	NIL	NIL	JJ	0.20868
25	हण्टरगंज	गोबरडीह	273	218	NIL	NIL	JJ	1.62778
26	हण्टरगंज	गोबरडीह	273	220	NIL	NIL	JJ	0.02056
कुल								1.85702
27	हण्टरगंज	बकैन	286	263	NIL	NIL	JJ	0.000877
28	हण्टरगंज	बकैन	286	241	NIL	NIL	JJ	0.01843
29	हण्टरगंज	बकैन	286	235	NIL	NIL	JJ	0.00994
30	हण्टरगंज	बकैन	286	230	NIL	NIL	JJ	0.012369
31	हण्टरगंज	बकैन	286	238	NIL	NIL	JJ	0.01032
कुल								0.051936
32	हण्टरगंज	कंचन	285	66	NIL	Forest	JJ	0.91962
कुल								0.91962
33	हण्टरगंज	मोंगावाडाहा	157	52	NIL	Forest	NIL	0.71952
34	हण्टरगंज	मोंगावाडाहा	157	77	NIL	Forest	NIL	3.45104
कुल								4.17056
35	हण्टरगंज	करैलीबार	287	229	NIL	NIL	JJ	0.00982
36	हण्टरगंज	करैलीबार	287	230	NIL	NIL	JJ	0.02646
37	हण्टरगंज	करैलीबार	287	230	NIL	Forest	NIL	0.07665
कुल								0.11293
38	हण्टरगंज	बोरा	133	40	NIL	Forest	NIL	0.7263
कुल								0.7263
39	हण्टरगंज	कनगूरुवा	175	42	NIL	Forest	NIL	0.6066
40	हण्टरगंज	कनगूरुवा	175	15	NIL	Forest	NIL	0.6415
41	हण्टरगंज	कनगूरुवा	175	16	NIL	Forest	NIL	1.1013
42	हण्टरगंज	कनगूरुवा	175	13	NIL	Forest	NIL	0.6842
43	हण्टरगंज	कनगूरुवा	175	53	NIL	Forest	NIL	0.0748
44	हण्टरगंज	कनगूरुवा	175	10	NIL	Forest	NIL	0.2566
45	हण्टरगंज	कनगूरुवा	175	55	NIL	Forest	NIL	0.8446
कुल								4.2096

अतः अनुरोध है कि 132 KV संचरण लाईन अपयोजित गैरमजरूवा खास जंगल झाड़ी भूमि को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से पारीत करने हेतु सादर समिर्पित।

अनुलग्नक यथोक्त:-

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी

हण्टरगंज, संतरा

11/3/21 1.8.2021

ग्राम - गोबरडीह ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

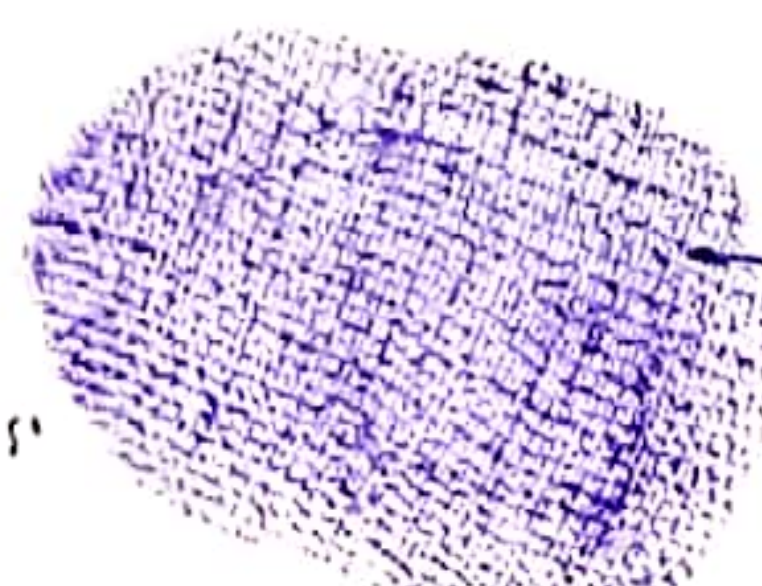
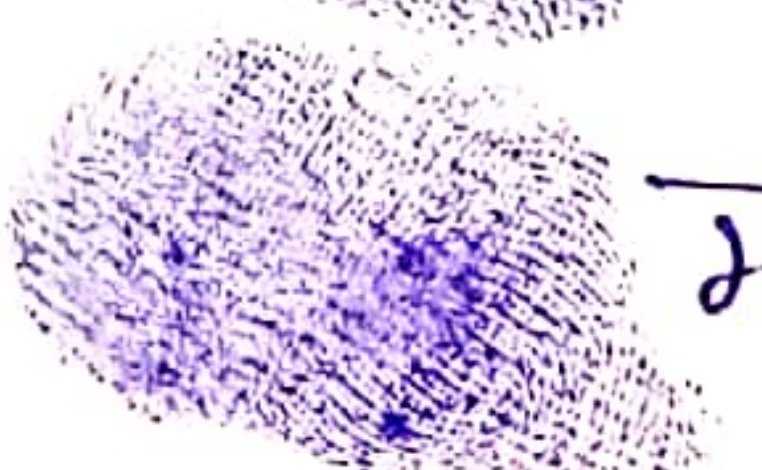
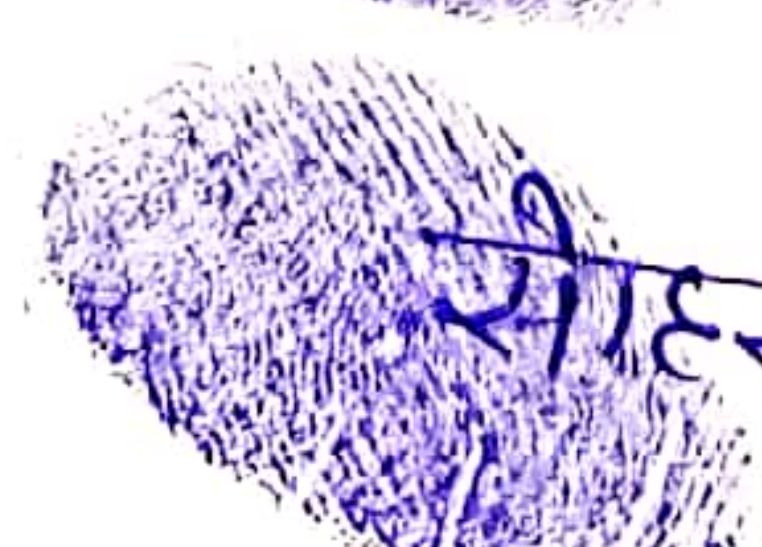
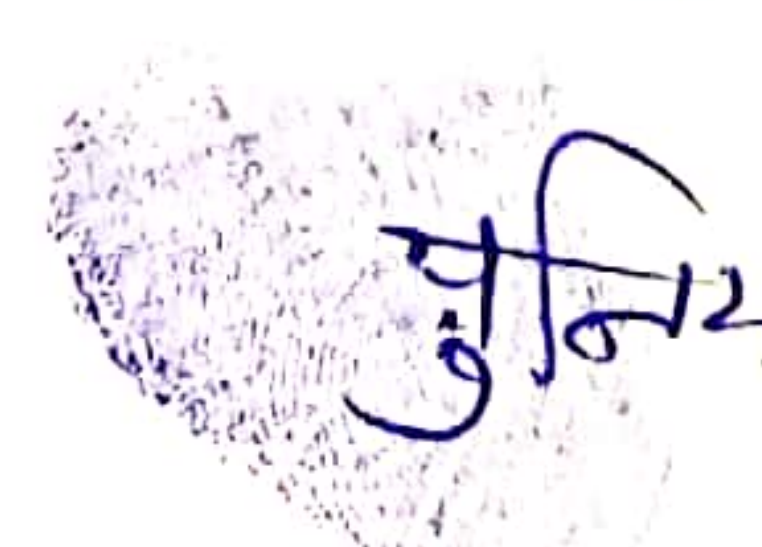
(1) दिनांक21.02.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम. गोबरडीह में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमे 132 KV D/C हन्टरगंज- चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	गोबरडीह	169	155	NIL	NIL	JJ	0.16157
2	हन्टरगंज	गोबरडीह	169	145	NIL	NIL	JJ	0.03386
कूल								0.19543

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

- (1) सुनील कुमार
- (2) विजय यादव
- (3)  यादव
- (4)  यादव
- (5)  यादव
- (6)  यादव

- (7)  मानवी देवी
- (8)  मानवा देवी
- (9)  तेजरी देवी
- (10)  सौंदर देवी
- (11)  सुनिया देवी

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्रामशिवर २५१६..... में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामशिवर २५१६..... में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामशिवर २५१६..... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभाशिवर २५१६..... को कोई आपत्ति नहीं है ।

२६६९ चा ६७

ग्राम सभा अध्यक्ष

सुनील कुमार
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

मुखिया

मुखिया
ग्राम पंचायत
पञ्चायत - हन्टरगंज

ग्राम - बेदौली ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक24.12.21..... को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम.

बेदौली में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज- चतरा

ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत

करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न

प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	बेदौली	159	16	NIL	forest	NIL	0.92127
2	हन्टरगंज	बेदौली	159	19	NIL	NIL	JJ	0.10253
3	हन्टरगंज	बेदौली	159	26	NIL	NIL	JJ	0.03339
4	हन्टरगंज	बेदौली	159	27	NIL	NIL	jj	0.15853
5	हन्टरगंज	बेदौली	159	27	NIL	forest	NIL	0.22522
कुल								1.44094

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

(1) चिन्ता देवी

(2) (चिन्ता देवी)

(3) रा. सु. ल. कु. न. र.

(4) (चिन्ता देवी)

(6) हनुमान

(7) (चिन्ता देवी)

(8) (चिन्ता देवी)

(9) (चिन्ता देवी)

(10) (चिन्ता देवी)

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम वेदोला में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम वेदोला में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम वेदोला में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा वेदोला को कोई आपत्ति नहीं है ।

पुष्प अग्रवाल
ग्राम सभा अध्यक्ष

उमेश ठाकुर
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

विकास
मुखिया

पुष्प
ग्राम पंचायत करम
पुष्प-हन्टरगंज

ग्राम - कनगुरूवा ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक 23.02.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम-
कनगुरूवा में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज -
चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण
निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण
निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	धाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	कनगुरूवा	175	42	NIL	Forest	NIL	0.6066
2	हन्टरगंज	कनगुरूवा	175	15	NIL	Forest	NIL	0.6415
3	हन्टरगंज	कनगुरूवा	175	16	NIL	Forest	NIL	1.1013
4	हन्टरगंज	कनगुरूवा	175	13	NIL	Forest	NIL	0.6842
5	हन्टरगंज	कनगुरूवा	175	53	NIL	Forest	NIL	0.0748
6	हन्टरगंज	कनगुरूवा	175	10	NIL	Forest	NIL	0.2566
7	हन्टरगंज	कनगुरूवा	175	55	NIL	Forest	NIL	0.8446
कुल								4.2096

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

अंकुश कुमार

अधीप (कुमार)

अबुल माव

संजय यादव

शुभानु कुमार

श्री. प्रकाश मुखर्जी

श्री. महेश मुखर्जी

श्री. उमेश देवी

श्री. सितानी मुखर्जी

ਸਿੰਗਾ ਰਾਮਕਰਾ ਮੁੰਡਾ

ਸਿੰਗਾ ਤਾਹਨ ਮੁੰਡਾ

ਸਿੰਗਾ ਬਡਨ ਮੁੰਡਾ

ਸਿੰਗਾ ਜਾਗੰਦਰ ਸਿੰਗਾ

ਸਿੰਗਾ ਭਾਗਵੀ ਦੇਵੀ

ਸਿੰਗਾ ਬਲਦਾਰ ਮੁੰਡਾ

ਸਿੰਗਾ ਬਿਦੇਵੀ ਮੁੰਡਾ

ਧਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਮਾਨਗਰ ਬਪਤਿ

ਕਥਾਵੀ ਦੇਵੀ

ਸਿੰਗਾ ਸੰਧੂ ਦੇਵੀ

ਸਿੰਗਾ ਦੇਵਦੀ ਦੇਵੀ

ਸਿੰਗਾ ਗੋਬੀ ਮਾਦੀ

ਸਿੰਗਾ ਸਰਗੁਨ ਮਾਦੀ

ਸਿੰਗਾ ਮਹੰਦਰ ਮਾਦੀ

ਸਿੰਗਾ ਬੰਦਰ ਮਾਦੀ

ਸਿੰਗਾ ਫਿਦਵ ਮਾਦੀ

ਸਿੰਗਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਾਦੀ

ਸਿੰਗਾ ਰਾਹੁਲ ਮਾਦੀ
ਨਿਲੰਤੁਮਾਰ

ਸਿੰਗਾ ਕਾਲੇਸ਼ ਮਾਰ

ਸਿੰਗਾ ਮਾਨ ਮੁੰਡਾ

ਲਾਲ ਕੁਮਾਰ

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम कनपुरा..... में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम कनपुरा..... में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम कनपुरा..... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा कनपुरा..... को कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम सभा अध्यक्ष

आशु/पुष्पा

वन अधिकारी समिति अध्यक्ष
कनपुरा

मुखिया

विजय पाटव
वाड सदस्य (वाड नं०-03)
ग्राम-बोडा, पंच-तरावाडा
प्रखण्ड-हन्टरगंज (चतरा)

ग्राम - करैलीबार ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक 24-02-21 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम करैलीबार में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज- चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	करैलीबार	287	229	NIL	NIL	JJ	0.00982
2	हन्टरगंज	करैलीबार	287	230	NIL	NIL	JJ	0.02646
3	हन्टरगंज	करैलीबार	287	230	NIL	Forest	NIL	0.07665
कूल								0.11293

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

सुखअथूरा

मीठ अकबरा

मीठ असरफ

मीठ अमित

मीठ जाभाप

सैयन भुईयां

सुधिर भुईयां

बबलू भुईयां

मि. सुखअथूरा

मि. सुखअथूरा

मि. सुखअथूरा

मि. सुखअथूरा

मि. सुखअथूरा

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्रामकरैलीवार..... में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामकरैलीवार..... में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामकरैलीवार..... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा११२६५..... को कोई आपत्ति नहीं है ।



ग्राम सभा अध्यक्ष

विष्णु मुरिया

मोठ मनौवर

वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

सुप्रभा लक्ष्मी
प्रधान

कारुणिया समिति

ग्राम पंचायत-करैलीवार

प्र०-हन्टरगंज, चतरा (झारखण्ड)

ग्राम -बसरिया ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक24.12.2021.... को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम-बसरिया में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	बसरिया	170	1	NIL	NIL	JJ	0.0161
2	हन्टरगंज	बसरिया	170	55	NIL	NIL	JJ	0.02575
3	हन्टरगंज	बसरिया	170	56	NIL	NIL	JJ	0.73050
4	हन्टरगंज	बसरिया	170	67	NIL	NIL	JJ	0.04619
5	हन्टरगंज	बसरिया	170	137	NIL	NIL	JJ	0.01953
6	हन्टरगंज	बसरिया	170	138	NIL	NIL	JJ	0.41966
7	हन्टरगंज	बसरिया	170	123	NIL	NIL	JJ	0.00925
8	हन्टरगंज	बसरिया	170	122	NIL	NIL	JJ	0.00627
कूल								1.2733

कमेश्वर कुमार
नमक यादव

(फिंगरप्रिंट) भो - सावित्री देवी

(फिंगरप्रिंट) मि० - गिरजा देवी

सुनेना देवी

शिवर यादव

पुष्पा देवी

(फिंगरप्रिंट) इन्दरीया देवी

(फिंगरप्रिंट) विश्वर भार्गव

कैलाश यादव

हीरामणि यादव

कांता देवी यादव

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम वरुहिया में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम वरुहिया में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम वरुहिया में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा (12/2) को कोई आपत्ति नहीं है ।

कामेश्वर उग्रा
ग्राम सभा अध्यक्ष

नवल पाण्डे
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

ह. शर्मा
मुखिया

मुख्य
ग्राम पंचायत कम
पारण्ड - हन्टरगंज चतरा

ग्राम - कठौन ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक2.1.2022... को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम. कठौन में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज- चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	कठौन	171	9	NIL	NIL	JJ	0.66288
2	हन्टरगंज	कठौन	171	21	NIL	NIL	JJ	0.01560
कूल								0.6785

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

- (1) सत्येन्द्र पासवान
- (2) दीपनराचन पासवान
- (3) सरफ पासवान
- (4) (मुकुन्द देवी)
- (5) (सुश्रुत देवी)
- (6) गिता देवी
- (7) (सुश्रुत देवी)

- (8) (सत्येन्द्र पासवान)
- (9) (दीपनराचन पासवान)
- (10) (सुश्रुत देवी)
- (11) (सत्येन्द्र पासवान)
- (12) (सुश्रुत देवी) पासवान
- (13) (सत्येन्द्र पासवान)
- (14) (सुश्रुत देवी)
- (15) (सत्येन्द्र पासवान)

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम कड़ौत में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम कड़ौत में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम कड़ौत में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा २१.२.८५ को कोई आपत्ति नहीं है ।

ललित पासवान
ग्राम सभा अध्यक्ष

सत्येन्द्र पासवान
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

सत्येन्द्र पासवान
मुखिया
मुखिय
ग्राम पंचायत कर्मचारी
खण्ड - हन्टरगंज

ग्राम - तेतरिया ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक ...24.2.21... को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम. तेतरिया में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज- चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	तेतरिया	155	1	NIL	NIL	JJ	0.50860
2	हन्टरगंज	तेतरिया	155	16	NIL	NIL	JJ	0.57968
कूल								1.08828

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

(1) विशन्वाका भुड्या

(2) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(3) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(4) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(5) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(6) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(7) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(8) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(9) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(10) आकाश भुड्या

(11) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(12) (फिंगरप्रिंट) भुड्या

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम तरीया में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम तरीया में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम तरीया में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा तरीया को कोई आपत्ति नहीं है।

(कल्याण) भुड्या
ग्राम सभा अध्यक्ष

विरुनाव - वैद्यरी भुड्या
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

तरीया
मुखिया
मुख्य
ग्राम पंचायत कम
पञ्चाट - हन्टरगंज चतरा

ग्राम कंचन ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक 22-02-22 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम कंचन में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	कंचन	285	66	NIL	forest	NIL	0.91962
कुल								0.91962

(1) उपस्थिति :- प्रमोद मुखिया

ग्राम सभा सदस्य:- विक्रम ठाकुर
पिनोय महतो
जैठन मुखिया
शुद्धि देवी

 मुखिया मुखिया

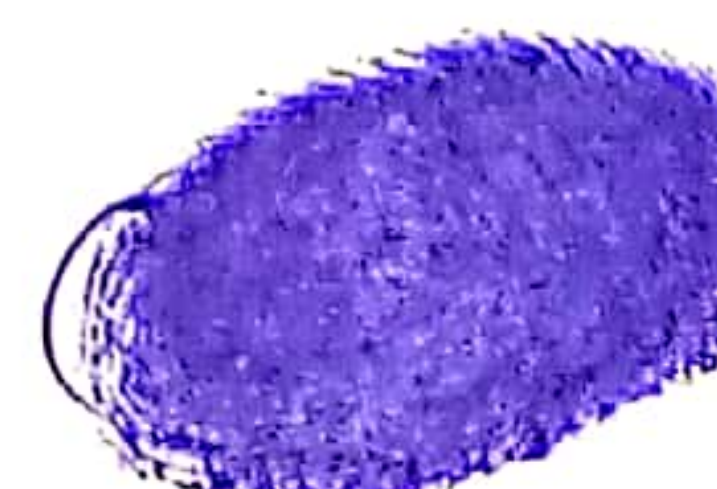
 मुखिया मुखिया

 मुखिया मुखिया

मुखिया मुखिया
मुखिया मुखिया

मुखिया मुखिया

 मुखिया मुखिया

 मुखिया मुखिया

 मुखिया मुखिया

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्रामकंचन..... में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामकंचन..... में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामकंचन..... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा२१.१२.१४..... को कोई आपत्ति नहीं है ।

कुमार चनभु०
ग्राम सभा अध्यक्ष

कौटुमुर्झिया
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

सुशीला देवी
प्रधान
कार्यवाही समिति
ग्राम पंचायत-कैलीवार
प्र०-हन्टरगंज, चतरा (झारखण्ड)

ग्राम - बखारडीह ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक 22-02-21 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम. बखारडीह में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज- चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	बखारडीह	273	221	NIL	NIL	JJ	0.20868
2	हन्टरगंज	बखारडीह	273	218	NIL	NIL	JJ	1.62778
3	हन्टरगंज	बखारडीह	273	220	NIL	NIL	JJ	0.02056
कूल								1.85702

(1) उपस्थिति :- राजेश कुमार यादव

ग्रामसभा सदस्य:- कुनदू कुमार यादव

Kundup Kumar Yadav

महेश भारती

मंजु देवी

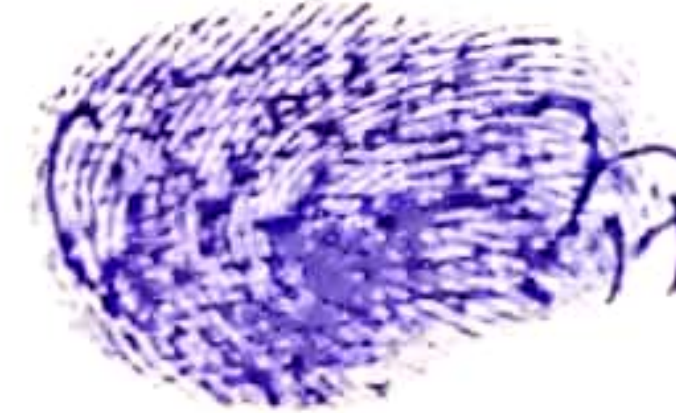
रंजेश साव

कमलेश रास

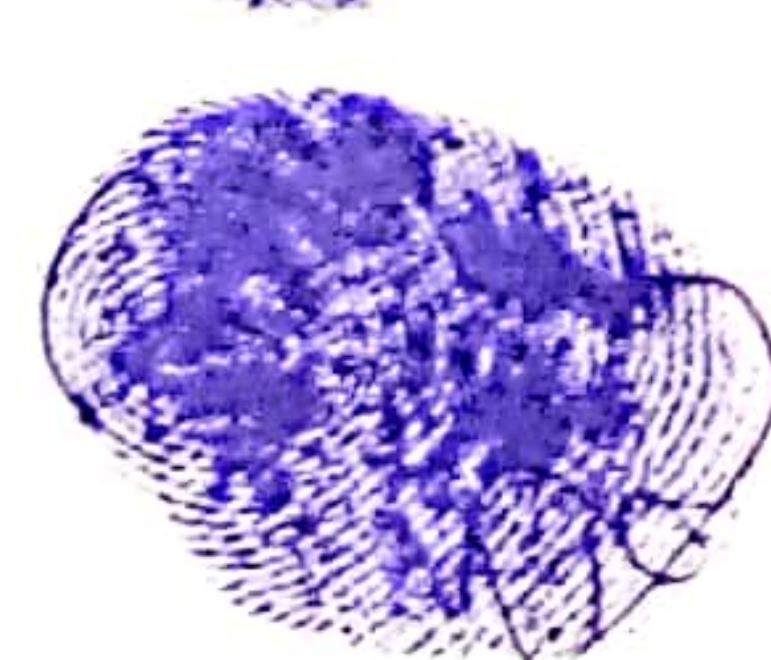
कुमदीप मिश्रा

अनिल पासवान

 रंजेश कुमार

 अनिल कुमार

 विश्वनाथ

 जगदीप महाराज

 निर्मल कुमार

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्रामवरखर 2574..... में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामवरखर 2574..... में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामवरखर 2574..... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभारतनपुर..... को कोई आपत्ति नहीं है ।

जीतन यादव
ग्राम सभा अध्यक्ष

राजेश यादव
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

सुशीला देवी
प्रधान
कार्य समिति
ग्राम पंचायत-करैलीवार
प्र०-हन्टरगंज, चतरा (झारखण्ड)

ग्राम - बकैन ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक2.2.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम.

बकैन में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमे 132 KV D/C हन्टरगंज- चतरा

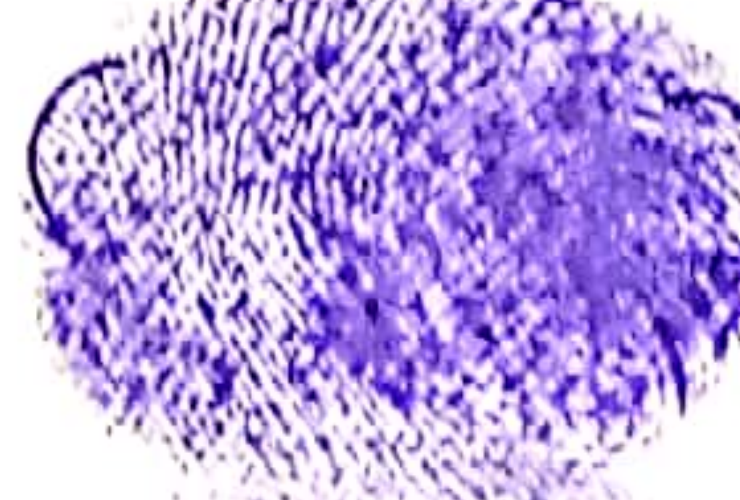
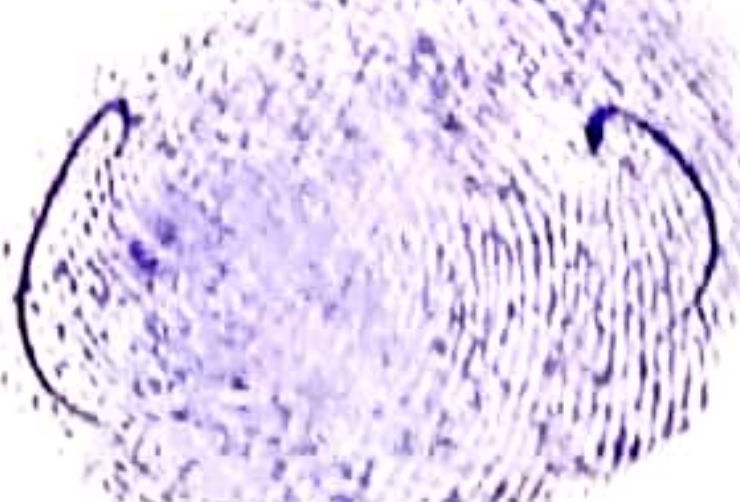
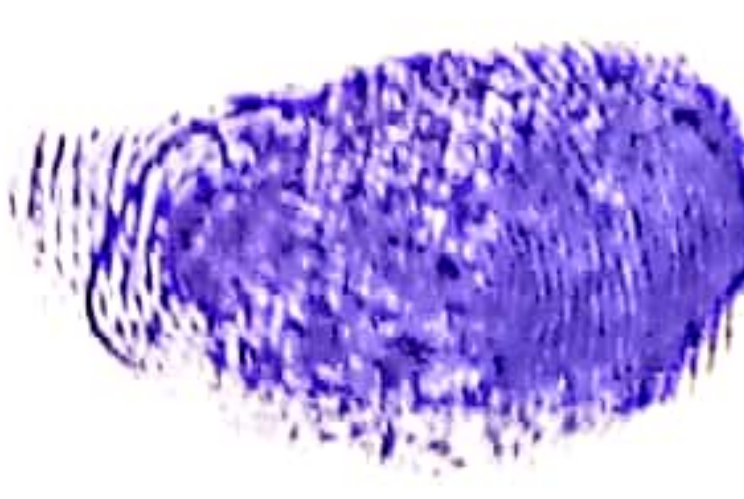
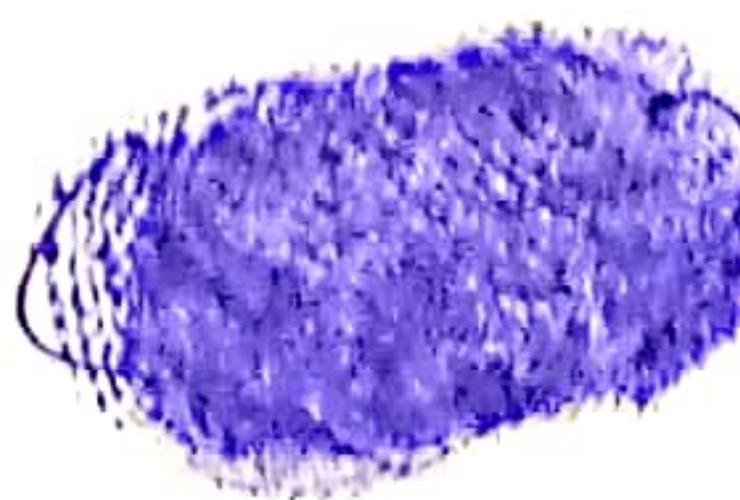
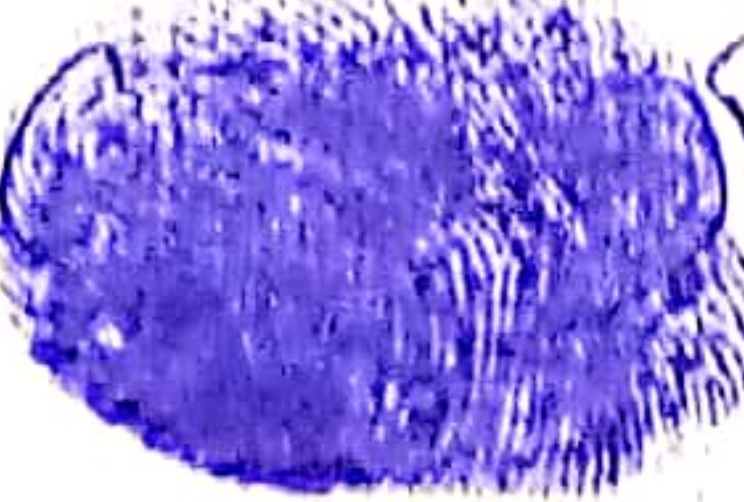
ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	बकैन	286	263	NIL	NIL	JJ	0.000877
2	हन्टरगंज	बकैन	286	241	NIL	NIL	JJ	0.01843
3	हन्टरगंज	बकैन	286	235	NIL	NIL	JJ	0.00994
4	हन्टरगंज	बकैन	286	230	NIL	NIL	JJ	0.12369
5	हन्टरगंज	बकैन	286	238	NIL	NIL	JJ	0.01032
कुल								0.16326

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

पद्मन गंभीर
शमसा गंभीर
देवाजी गंभीर
जितेन्द्र गंभीर
बसदेव यादव
कुमेश्वर यादव
राजकुमार गंभीर
पद्म गंभीर

 पद्मन गंभीर
 देवाजी गंभीर
 जितेन्द्र गंभीर
 कुमेश्वर यादव
 राजकुमार गंभीर

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम वैकुण्ठ में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम वैकुण्ठ में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम वैकुण्ठ में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा सुशीलादेवी को कोई आपत्ति नहीं है ।

पराशर गंभीर
ग्राम सभा अध्यक्ष

मुनि गंभीर
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

सुशीलादेवी
प्रधान
कार्यवाही समिति
ग्राम पंचायत-करैलीवार
प्र०-हन्टरगंज, चतरा (झारखण्ड)

ग्राम बौरा ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक 23.02.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम बौरा में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	बौरा	133	40	NIL	forest	NIL	0.7263
कुल								0.7263

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

अग्रिम 1419-

Chandan Kumar

Ankit Kumar

Gulab Kumar

Rohit Kumar

शेखर विश्वकर्मा

अशोक पालवान

Moh. A B ad

रमाशिव भारती

अनिल ठाकुर

अकशुल जेविया

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है ।

श्रीवा कुमार साहू

अध्यक्ष

वन प्रबन्धन पुरक्षा समिति

बोडा, हन्टरगंज

विजय पाटव

ग्राम सभा अध्यक्ष

वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

मुखिया

विजय पाटव
वार्ड सदस्य (वार्ड नं०-08)
ग्राम-बोडा, पं०-तरवागड़ा
प्रखण्ड-हन्टरगंज (चतरा)

ग्राम - कोन ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक21.12.2021... को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम. कोन में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज- चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	कोन	154	1	NIL	NIL	JJ	0.11046
2	हन्टरगंज	कोन	154	2	NIL	NIL	JJ	0.00958
3	हन्टरगंज	कोन	154	14	NIL	NIL	JJ	0.49204
कूल								0. 61208

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

- | | |
|---|--------------------|
| (1) संतोष चौधरी | (8) जयप्रकाश चौधरी |
| (2) देवरा चौधरी | (9) राजेश चौधरी |
| (3) उमेश चौधरी | (10) मोहन चौधरी |
| (4)  | (11) मांती देवी |
| (5) श्रीकृष्ण कुमार | |
| (6) विष्णु चौधरी | |
| (7) श्रीकान्त चौधरी | |

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्रामक/ग..... में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामक/ग..... में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामक/ग..... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा21.2.12..... को कोई आपत्ति नहीं है ।

रवि/प चौरा
ग्राम सभा अध्यक्ष

रवि/प चौरा
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

रवि/प चौरा
मुखिया
मुखिया
ग्राम पंचायत कार्य
पञ्चण्ड-हन्टरगंज चतरा

ग्राम - मोंगावाडाहा ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक2.8.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड हन्टरगंज के ग्राम. मोंगावाडाहा में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज- चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हन्टरगंज	मोंगावाडाहा	157	52	NIL	Forest	NIL	0.71952
2	हन्टरगंज	मोंगावाडाहा	157	77	NIL	Forest	NIL	3.45104
कूल								4.17056

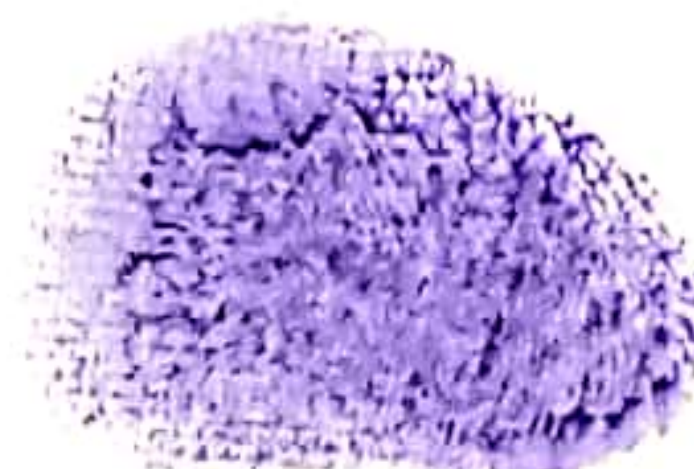
(1) उपस्थिति :-

श्रीव कुमार भारती

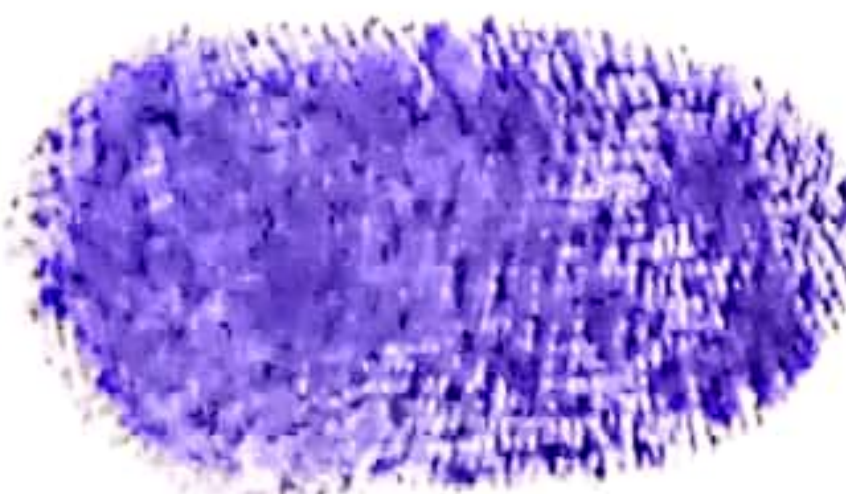
ग्रामसभा सदस्य:-

दीपती देवी

कुलदेव मुईयाँ



जितन मुईयाँ

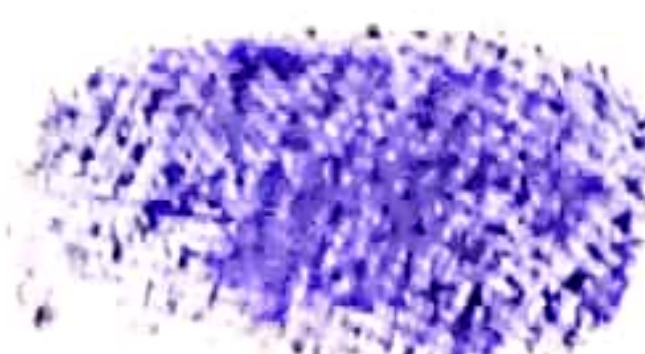


नितु सुरेश मुईयाँ

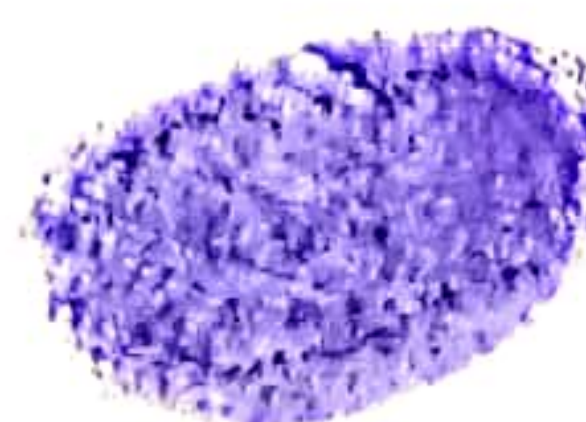
सन्दीप कुमार



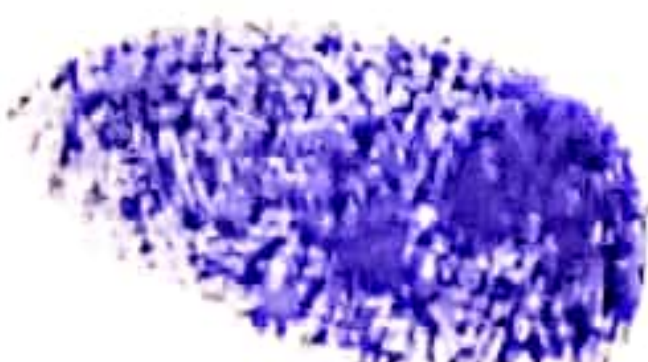
नितु उमिला देवी



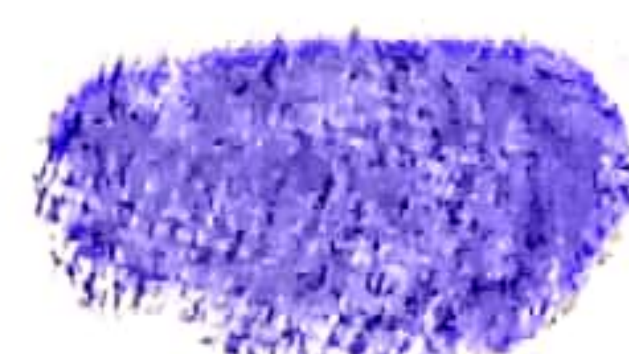
नितु सती देवी



नितु आसा देवी



नितु ताला देवी



नितु सुकन्ती देवी

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम मोरावाडा में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम मोरावाडा में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम मोरावाडा में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा सुदु को कोई आपत्ति नहीं है।

डोमन मुईया

ग्राम सभा अध्यक्ष

डोमन मुईया

वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

सुशीला देवी

प्रधान
कार्यवाही समिति
ग्राम पंचायत-करैलीवार
प्र-हन्टरगंज, चतरा (झारखण्ड)

कार्यालय : अंचल अधिकारी, हण्टरगंज (चतरा)।

पत्रांक.....135

दिनांक.....09.02.21

सेवा में

D.A.

19.02.21

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
हण्टरगंज, चतरा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी
चतरा।

विषय:-

132 KV संचरण लाईन (हण्टरगंज, चतरा) निर्माण में अपयोजित भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा की कार्यवाही का प्रेषण।

प्रसंग:-

अपर समाहर्ता चतरा पत्रांक- 268/रा0 दिनांक 29.01.2021

महाशय

उपर्युक्त विषयक में सादर कथन है कि 132 KV संचरण लाईन (हण्टरगंज, चतरा) निर्माण में अपयोजित गैरमजरूवा खास जंगल-झाड़ी भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत संबंधित ग्राम में ग्राम- सभा की गई। ग्राम सभा की प्रति संग्रह है।

अपयोजित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

ग्राम- कर्मा

क्रमांक	प्रखण्ड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फोरेस्ट	प्रोटेक्टेड फोरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हण्टरगंज	कर्मा	173	338	NIL	NIL	JJ	0.0228
2	हण्टरगंज	कर्मा	173	348	NIL	NIL	JJ	0.0214
3	हण्टरगंज	कर्मा	173	347	NIL	Forest	NIL	0.438
4	हण्टरगंज	कर्मा	173	53	NIL	Forest	NIL	0.2207
5	हण्टरगंज	कर्मा	173	57	NIL	Forest	NIL	1.2323
6	हण्टरगंज	कर्मा	173	229	NIL	NIL	NIL	0.0494
7	हण्टरगंज	कर्मा	173	329	NIL	NIL	NIL	0.0182
8	हण्टरगंज	कर्मा	173	327	NIL	NIL	NIL	0.0738
कुल								2.0766

3

ग्राम- भोगताडीह

क्रमांक	प्रखण्ड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फोरेस्ट	प्रोटेक्टेड फोरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हण्टगंज	भोगताडीह	172	182	NIL	Forest	NIL	0.3319
2	हण्टगंज	भोगताडीह	172	183	NIL	Forest	Nil	0.0629
3	हण्टगंज	भोगताडीह	172	185	NIL	Forest	NIL	0.0392
4	हण्टगंज	भोगताडीह	172	184	NIL	NIL	JJ	0.1248
कुल								0.558

ग्राम- कुरीद

क्रमांक	प्रखण्ड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फोरेस्ट	प्रोटेक्टेड फोरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हण्टगंज	कुरीद	288	7	NIL	NIL	JJ	0.0179
2	हण्टगंज	कुरीद	288	2	NIL	NIL	JJ	0.41579
3	हण्टगंज	कुरीद	288	54	NIL	NIL	JJ	0.06809
4	हण्टगंज	कुरीद	288	169	NIL	NIL	JJ	0.1063
5	हण्टगंज	कुरीद	288	180	NIL	NIL	JJ	0.03921
6	हण्टगंज	कुरीद	288	197	NIL	NIL	JJ	0.12142
7	हण्टगंज	कुरीद	288	200	NIL	NIL	JJ	0.01257
8	हण्टगंज	कुरीद	288	199	NIL	NIL	JJ	0.15507
9	हण्टगंज	कुरीद	288	205	NIL	NIL	JJ	0.28946
10	हण्टगंज	कुरीद	288	213	NIL	NIL	JJ	0.1145
11	हण्टगंज	कुरीद	288	230	NIL	NIL	JJ	0.12257
12	हण्टगंज	कुरीद	288	232	NIL	NIL	JJ	0.01378
13	हण्टगंज	कुरीद	288	231	NIL	NIL	JJ	0.20868
कुल								1.6853

ग्राम- सेलदाहा

क्रमांक	प्रखण्ड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फोरेस्ट	प्रोटेक्टेड फोरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	हण्टगंज	सेलदाहा	158	165	NIL	NIL	JJ	0.1163
2	हण्टगंज	सेलदाहा	158	117	NIL	NIL	JJ	0.8512
3	हण्टगंज	सेलदाहा	158	93	NIL	NIL	JJ	0.0438
4	हण्टगंज	सेलदाहा	158	96	NIL	NIL	JJ	0.00199
5	हण्टगंज	सेलदाहा	158	89	NIL	NIL	JJ	0.0325
6	हण्टगंज	सेलदाहा	158	88	NIL	NIL	JJ	0.0327
7	हण्टगंज	सेलदाहा	158	86	NIL	NIL	JJ	0.0420
8	हण्टगंज	सेलदाहा	158	63	NIL	NIL	JJ	0.2869
9	हण्टगंज	सेलदाहा	158	60	NIL	NIL	JJ	0.0219
10	हण्टगंज	सेलदाहा	158	59	NIL	NIL	JJ	0.1379
कुल								1.5672

अतः अनुरोध है कि 132 KV संचरण लाईन अपयोजित गैररमजरूवा खास जंगल झाड़ी भूमि को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से पारीत करने हेतु सादर समर्पित।
अनुलग्नक यथोक्तः

विश्वासभाजन

 09.02.21

अंचल अधिकारी,
हण्टगंज।

9-2-21

आम समिति

Page No. 10

आज दिनांक 08-02-21 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उरना
 स्टेशन के आम कोठावाडी में 132 रु. का
 स्टेशन - यथा संसिधन लाइन निर्माण हेतु
 डाटिका दान की अध्यापना में एक नई
 की गई। बैंक में प्लान 182, 183, 185,
 एवं 184 कुल चक्र 0.55 रु. के संसिधन
 दान 50 132 रु. का संसिधन लाइन
 निर्माण पर - यथा उई जिसमें आम समिति
 जताई गई। संसिधन लाइन निर्माण में दिना
 की आगामी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं दिख
 राख।

ग्रामीणों का हस्ताक्षर

Kameshwar Kumar

- (1) रमेश्वर चंद
- (2) अमीर चंद
- (3) सुरेन्द्र चंद
- (4) सतीश चंद
- (5) निरंजन मारवा
- (6) निरंजन मारवा
- (7) निरंजन मारवा
- (8) निरंजन मारवा
- (9) निरंजन मारवा

कमेश्वर का
 हस्ताक्षर

डा. उरना दान
 0202218316
 आम समिति अध्यापक
 का हस्ताक्षर

(10)

विजयाचु गंडु

(11)

मि. सुशेन्द्र भारती

(12)

मि. हरिगंडु

(13)

मि. बुधार्ड भारती

मि. वलिथों देवी

मि. जगिया देवी

विजय गंडु

देवप्रत गंडु

मौला गंडु

अवार्ड गंडु

मि. नारायण ~~गंडु~~ यादव हरिकान्त

ग्राम राम अष्टम
का हलास



आम सभा

Date _____
Page _____

आज दिनांक 09-02-21 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रवा
हैदराबाद के ग्राम कमी पंचायत कमी में 1324
D/C हैदराबाद - चतरा हारमिशन लाने निर्मा
हैदराबाद को अधिसूचना में 545 बंकर
को गई।

बंकर में प्लॉट 6 338, 348, 347, 53, 57, 229
एवं 327 कुल 2.0766 हेक्टर भूमि
है। इस भूमि गृहकार्य के गैरमजदूरी बंकर बंकर
की भूमि है। बंकर में किसी भी व्यक्ति के द्वारा
कोई आपत्ति नहीं किया गया है।

मौला यादव

उपनिर्वाह ग्राहकों का
हस्ताक्षर

वैयक्तिक हस्ताक्षर

- (1) राजेन्द्र दास
- (2) मदन दास
- (3) राजकुमार दास

21/02/2021
6202218310

आम सभा का हस्ताक्षर

(4) Sandeep Kumar Yadav

(5) मौला यादव

(6) प्रियंदा यादव

(7) Babbari Kumar Yadav

(8)

(9)

(10)

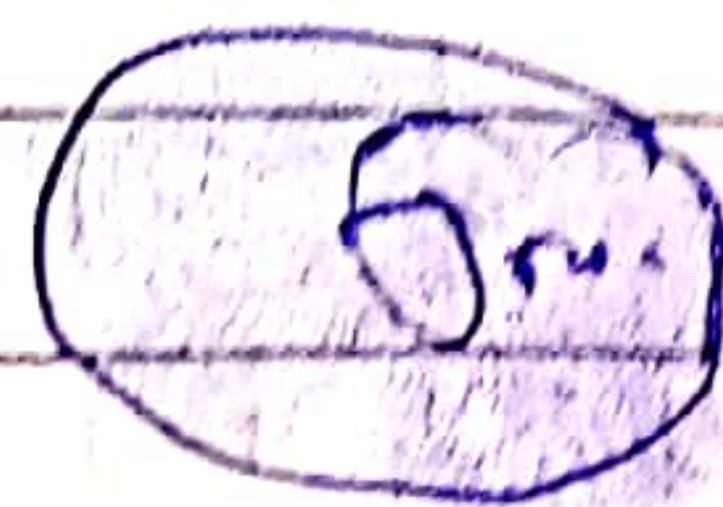
निर्माण मंत्री

निर्माण मंत्री

निर्माण मंत्री

କମଳା ମାଳ

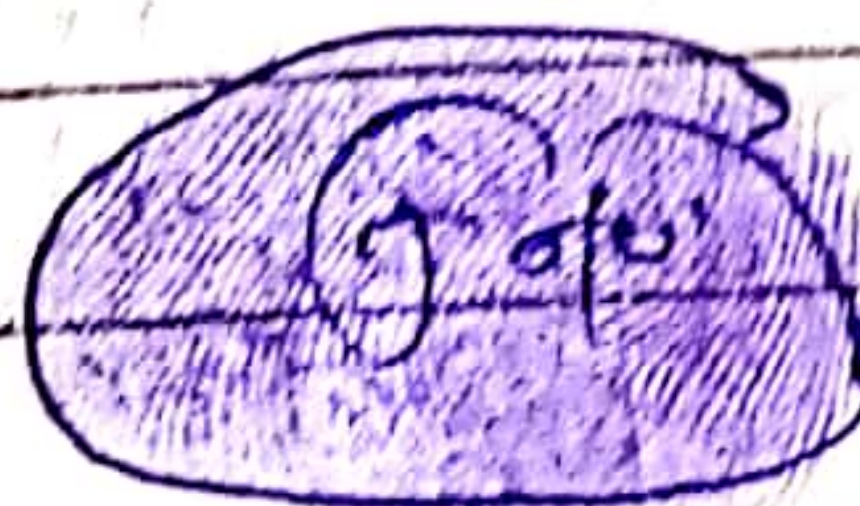
କବିତା ଚାକ୍ର



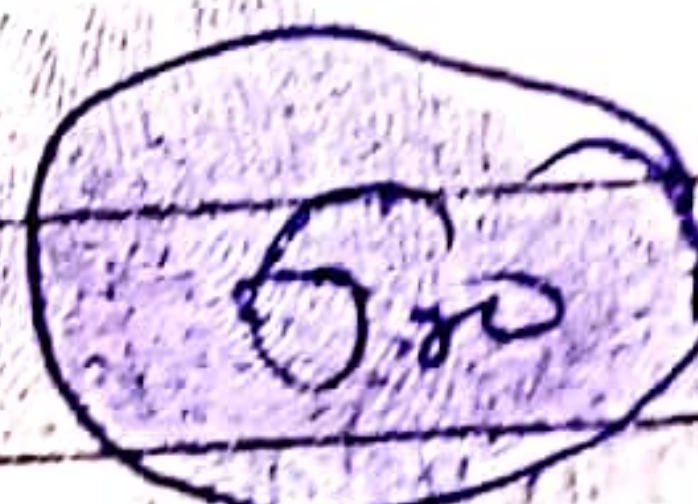
ମିଶ୍ର ଦା



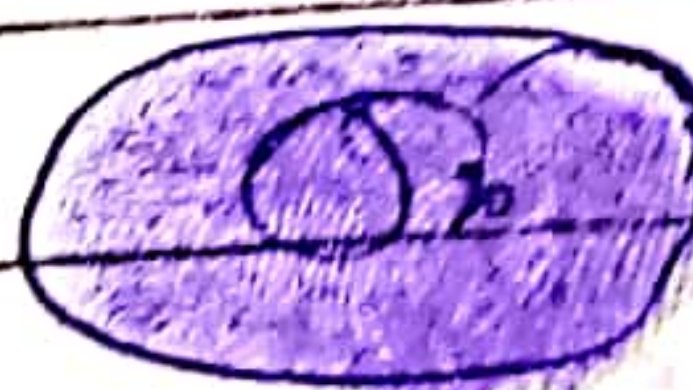
ସୁଧୀନା



ସୁଧୀନା

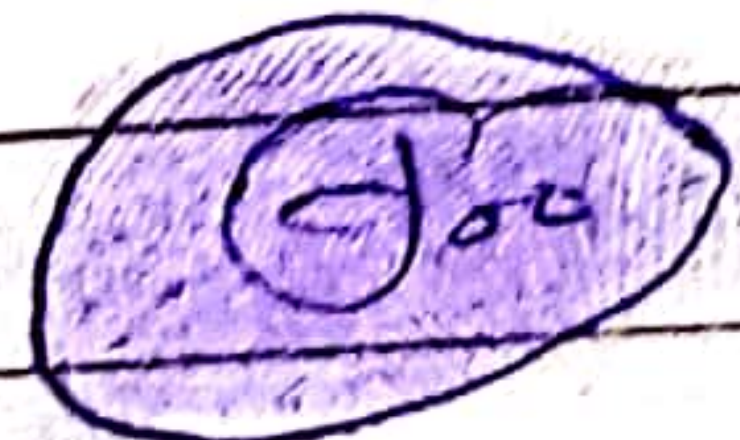


ନର ମାଳ



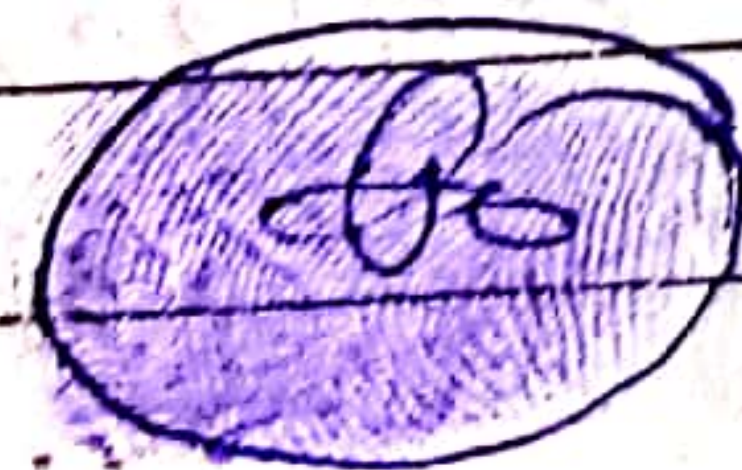
ମିଶ୍ର ଦା

ନାମା ଦା

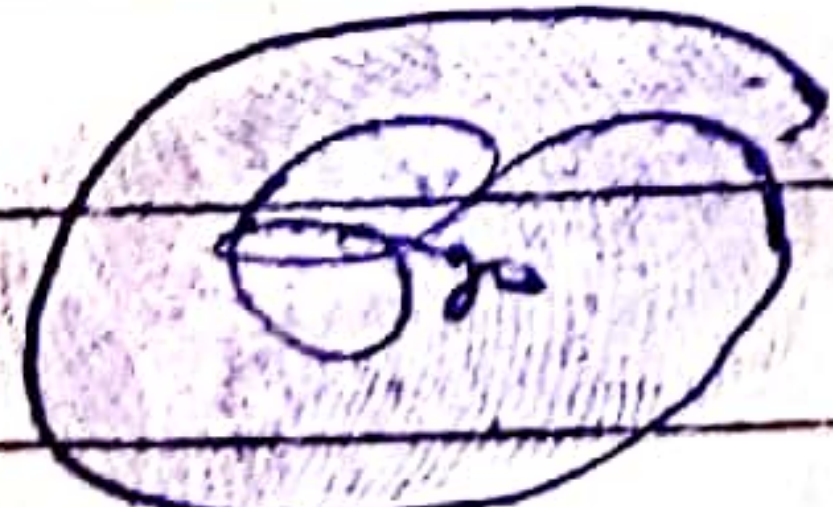


ନାମା ଦା

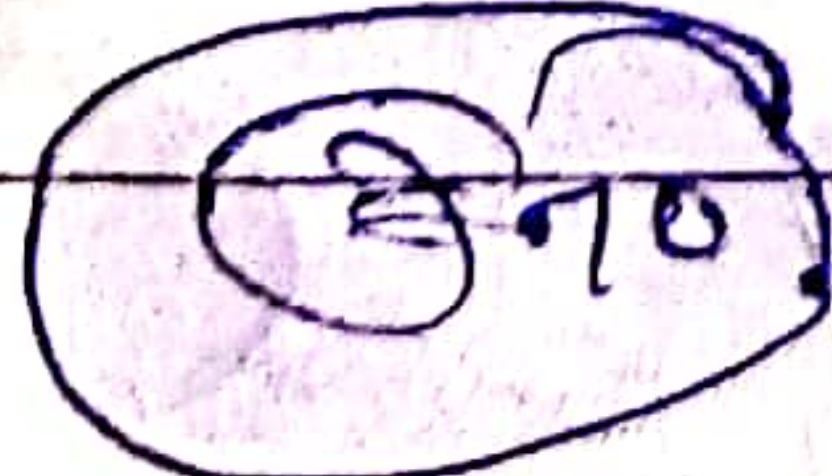
ନାମା ଦା



ନାମା ଦା



ନାମା ଦା



ନାମା ଦା

Teacher's Signature

ਸਿਰੀ ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ

ਸਿਰੀ ਕਰਮ ਦੇਵੀ

ਸਿਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਵੀ

ਸਿਰੀ ਰਾਮਦੇਵ ਮਾਧਵ

ਸਿਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਮਾਧਵ

ਸਿਰੀ ਗਰਦੀ ਮਾਧਵ

ਸਿਰੀ ਲੀਲਾਵਤੀ ਮਾਧਵ

ਸਿਰੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਾਧਵ

ਸਿਰੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਾਧਵ

ਸਿਰੀ ਕਰਮ ਦੇਵੀ

Praanir Kumar Das

अनिल दास

अजय दास

Panshant Kumar

अखिलेश दास

Sarbesth Son

रामचंद्र पांडव

रींकु पांडव

कुन्डन पांडव

Anil Yadav

Pinky Das

डा. विद्या

ग्राफिक्स अकादमी
दिल्ली

दिनांक ०१ पूर्वदि ११:०० बजे प्रथम
 इंदरगंज के ग्राम कुशीद में ग्राम सभा की आयुषी
 की गई जिसमें १३२ पुरुषों/८ इंदरगंज-पुल
 शांतिमित्रता लाने के लिए प्लॉट नं १, २, ५५
 १६९, १८०, १३७, २००, १९९, २०५, २१३, २३०, २३२ एवं
 २३१ वन भूमि ६ एकड़ (कुशीद)। जिसमें
 किसी भी शांतिमित्रता के दावा कोई आपत्ति नहीं
 दिखाया गया। सभी प्लॉट गोमनसमा रक्षा वन भूमि के
 अंतर्गत।

उपरि-ग्राम शांतिमित्रता का

हस्ताक्षर

अभिमानस्य

अरुणलाल शर्मा
 पुत्र भारती

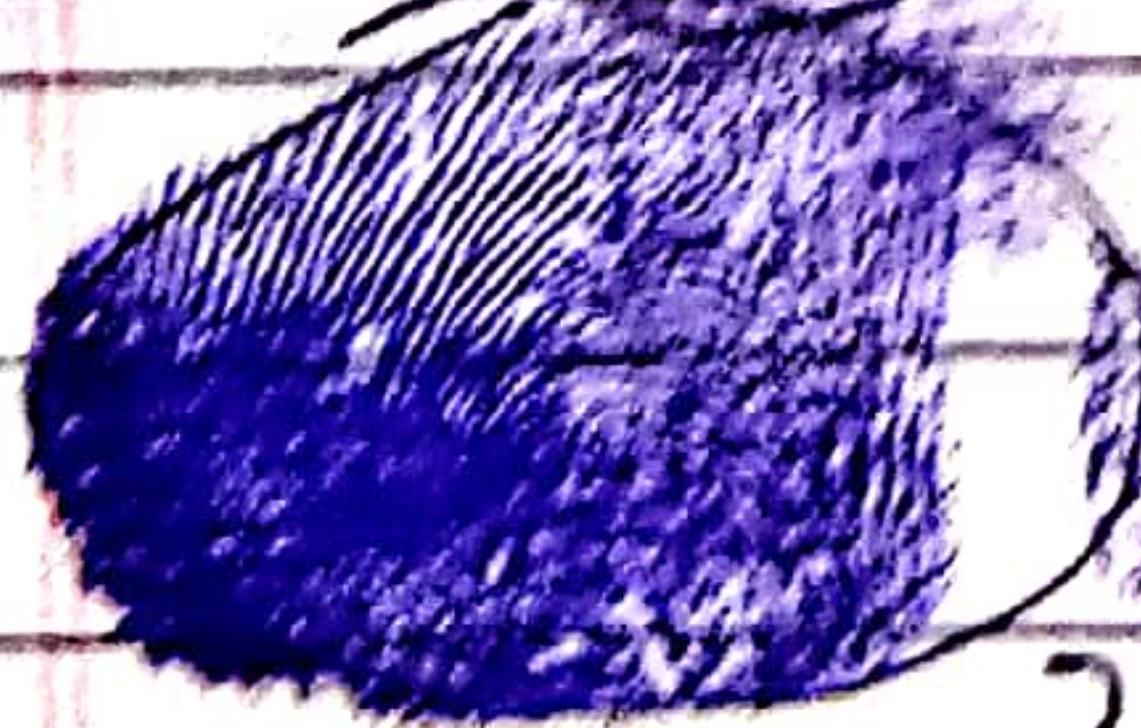


सद्विचारिता

उपरोक्त कुशीद



बंगाली भाषा



सिद्धोद भाषा

अ/क पापादय

राजेश चंद्र

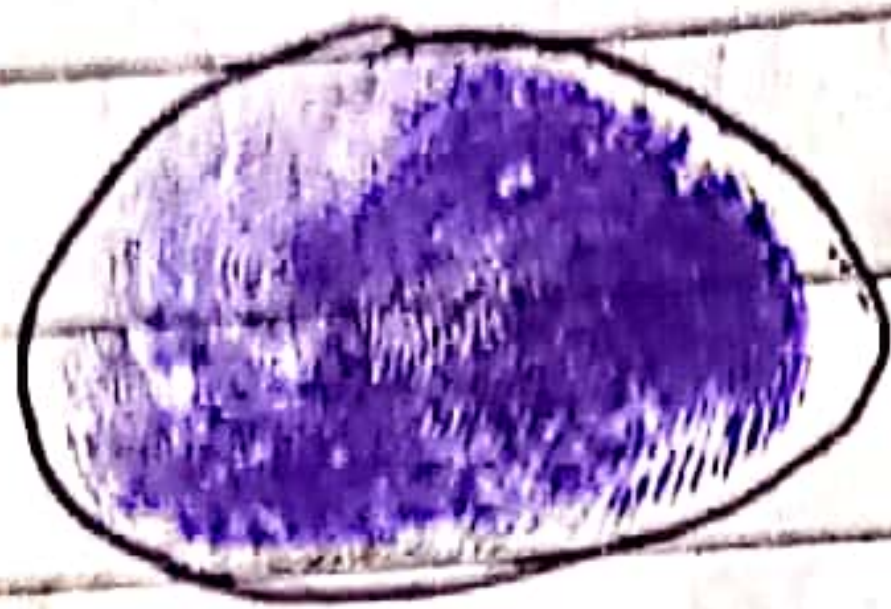
वन सचिव अध्यक्ष

का हस्ताक्षर

ग्राम सभा अध्यक्ष

नरेश महतो

गुरु पाद



विजय गायत्री

केदार पाद
गामदेव पाद

मनोज पाद

कृष्ण गुरु

सुचिता गुरु



उमेश गुरु



गंगा गुरु
अवधेश गुरु
धनु गुरु

शत पाद

केदार पाद

मोहन कुमार
गामदेव गुरु

अंगार के कटोरे
धरवला से

सुबाना देवी

मोहना

पंचायत

धरवला

आज दिनांक 9.2.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे
प्रदेश इंटरग्रुप के ग्राम सैलदाहा में 132KV
D/C इंटरग्रुप चतुरा इंसोलेशन लाइन निर्माण
द्वारा विवाद पार्सेल की अध्यक्षता में एक
वैठक की गई। निर्मा 132KV D/C इंसोलेशन
लाइन निर्माण में विवाद में ग्रामीण के द्वारा
कोई आपत्ति नहीं दिखाया गया।

ग्राम सैलदाहा के प्लॉट नं. 165, 117, 93, 96, 89,
88, 86, 63, 60, एवं 59 को लेकर ग्रामीणों
को जंगलभाड़ी वॉलन्टेयरों द्वारा सूचना दी

उपस्थित ग्रामीणों का
हस्ताक्षर

मुखारी पार्सेल
का स्वामी का
हस्ताक्षर

1) सुनिल यादव
2) किशोर मुखर्जी

3) मि. कुलवाड़ी

4) जयंत प्रजापत

5) मि. कुलवाड़ी

6) अनिल मुखर्जी

7) रमेश मुखर्जी

ग्राम सभा का
हस्ताक्षर

विवाद पार्सेल

(8) अमेरिका मुद्रियाँ

(9) रामेश्वर मुद्रियाँ

(10) सुरेश्वर मुद्रियाँ

(11) दल मुद्रियाँ

(12) गरिमन मुद्रियाँ

(13)

मि. पुनीत देवी

(14)

मि. सुनीता देवी

(15)

(16)

मि. सरिता देवी

(17)

मि. रमेश देवी

— 21/10/2021

ग्राम सभा अध्यक्ष का
हस्ताक्षर

ग्राम-डरहा ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनांक ..01.12.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड चतरा के ग्राम- में ग्राम - डरहा सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	चतरा	डरहा	157-5	700			JJ	1.1189
2	चतरा	डरहा	157-5	702			JJ	0.6409
3	चतरा	डरहा	157-5	703			JJ	0.5206
4	चतरा	डरहा	157-5	704	JJ	PF 0.05415		1.0461
5	चतरा	डरहा	157-5	706			JJ	0.1891
6	चतरा	डरहा	157-5	707			JJ	1.34203
7	चतरा	डरहा	157-5	708		PF		0.2024
कुल 0.05415								5.06003
1	चतरा	डरहा	157-3	14			JJ	0.29052
2	चतरा	डरहा	157-3	15		PF		0.4441
3	चतरा	डरहा	157-3	15			JJ	0.23711

4	चतरा	डरहा	157-3	20			JJ	1.0560
5	चतरा	डरहा	157-3	20		PF		0.116
6	चतरा	डरहा	157-3	21		PF		0.87048
7	चतरा	डरहा	157-3	22		PF		0.52391
8	चतरा	डरहा	157-3	25		PF		1.2042
9	चतरा	डरहा	157-3	25			JJ	0.65086
कुल.								5.39318
1	चतरा	डरहा	157-1	3		PF		2.061930
कुल								2.061930

(1) उपस्थिति :-

① नि० लक्ष्मी देवी

② नि० सीता देवी

③ नि० शान्ती देवी

④ शिखर उग्र

⑤ कर्मरत्न गंधू

⑥ अनिल भुईया

⑦ कारन भुईया

(7)  मि. प्रदीप जंघु

(8) अनजना कुमार

(9) सुविन भादव

(10)  मि. कोलेउवार जंघु

(11) सुविन भादव

(12) सुविन भादव

(13) सुविन भादव

(14) सुविन भादव

(15)  मि. रमा जंघु

(16) सुविन भादव

(17) सुविन भादव

(18)  मि. बाला जंघु

(19)  मि. विनय जंघु

(20)  सुविन भादव

(21)  मि. राजेश भुरगा

(22)  मि. सुषमा देवी

(23)  मि. हरीनाथ जंघु

(24)  मि. केला जंघु

(25) सुविन भादव

(26) सुविन भादव

(27) सुविन भादव

(28)  मि. पल्लु अंब

(29)  मि. विष्णु अंब

(30)  मि. सुनील लाल

(31)  मि. कोमल देवी

(32)  सुविन भादव

(33) सुविन भादव

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्रामडावा..... में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम ,2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामडावा..... में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्रामडावा..... में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभाडावा..... को कोई आपत्ति नहीं है ।

विजय कुमार

ग्राम सभा अध्यक्ष

Harish Kumar Bhungar
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

Sei
मुखिया
ग्राम पंचायत -
प्रखण्ड - जिला - चतरा

ग्राम सिकिद ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 30.11.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड चतरा के ग्राम सिकिद में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

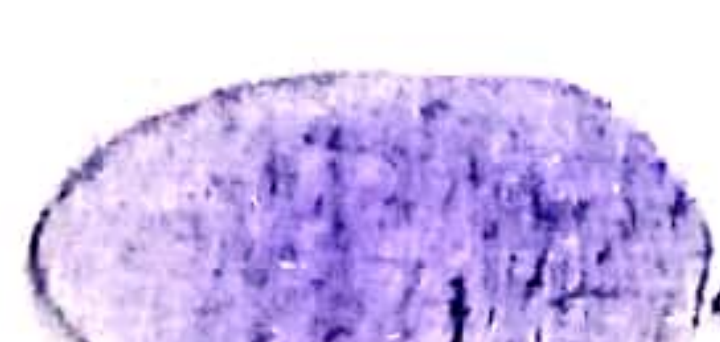
क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	चतरा	सिकिद	160	192	NIL	NIL	JJ	0.2650
2	चतरा	सिकिद	160	335	NIL	NIL	JJ	0.1869
3	चतरा	सिकिद	160	330	NIL	NIL	JJ	0.0366
4	चतरा	सिकिद	160	329	NIL	NIL	JJ	0.0439
5	चतरा	सिकिद	160	337	NIL	Forest		0.324
6	चतरा	सिकिद	160	337	NIL	NIL	JJ	1.7642
कूल								2.6215

(1) उपस्थिति:

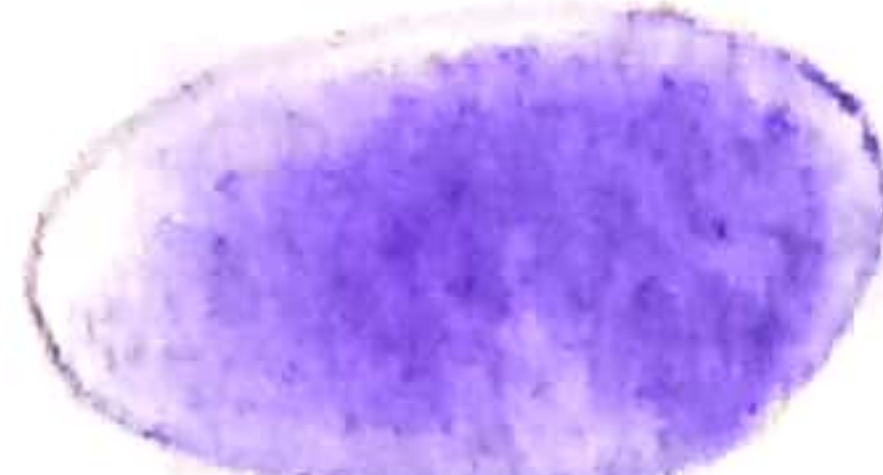
ग्राम सभा सदस्य

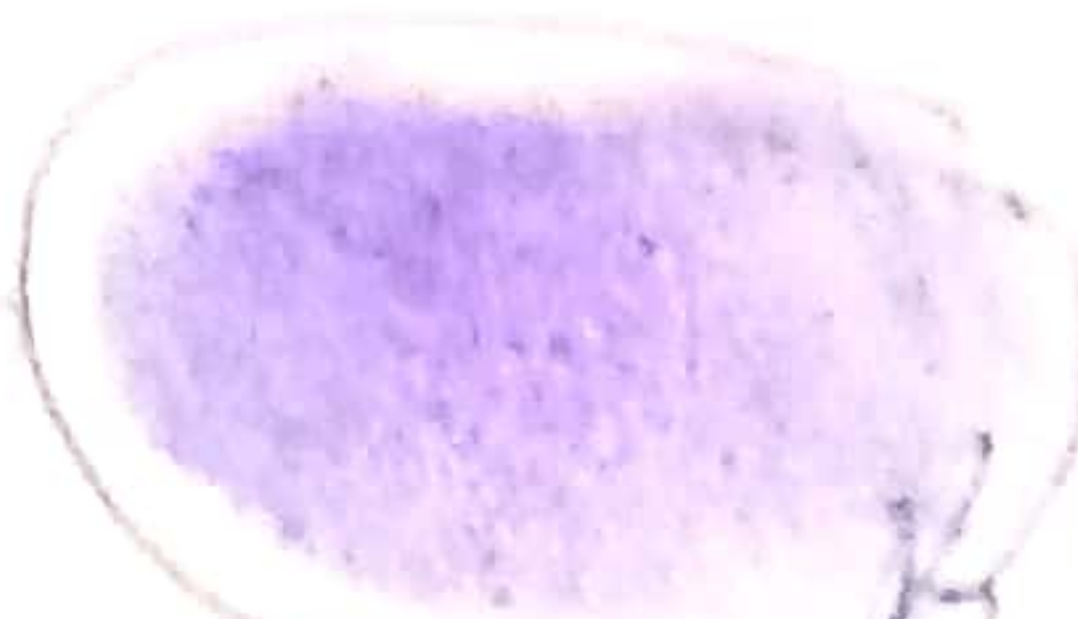
(1) Roshni Yadav

(2) महेंद्र यादव

(3)  कानन देवी

14 पुष्पादीपक

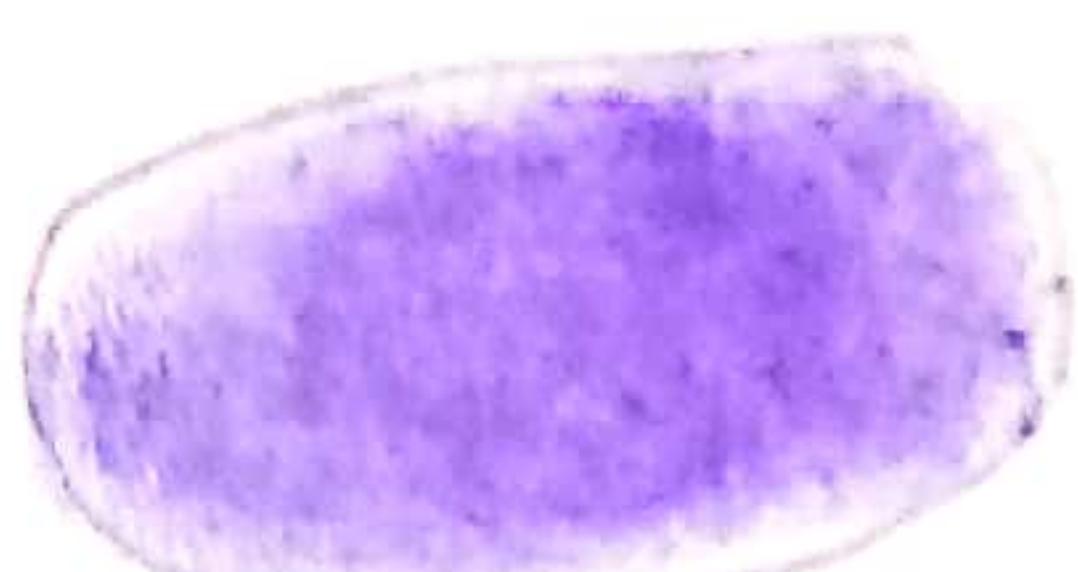
15  माता देवी

16  आगव न गाय

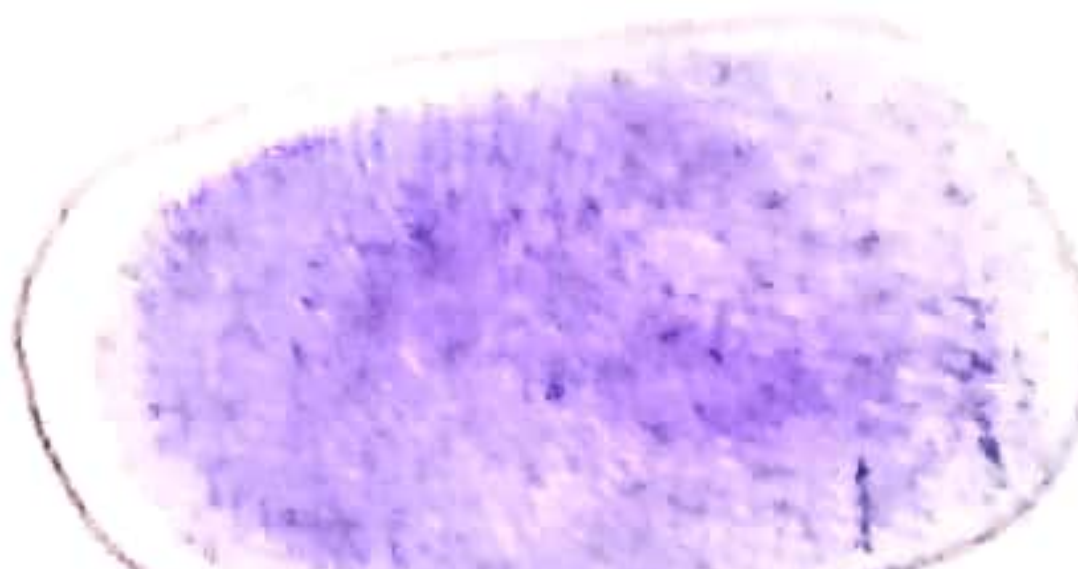
17 munalalyadai

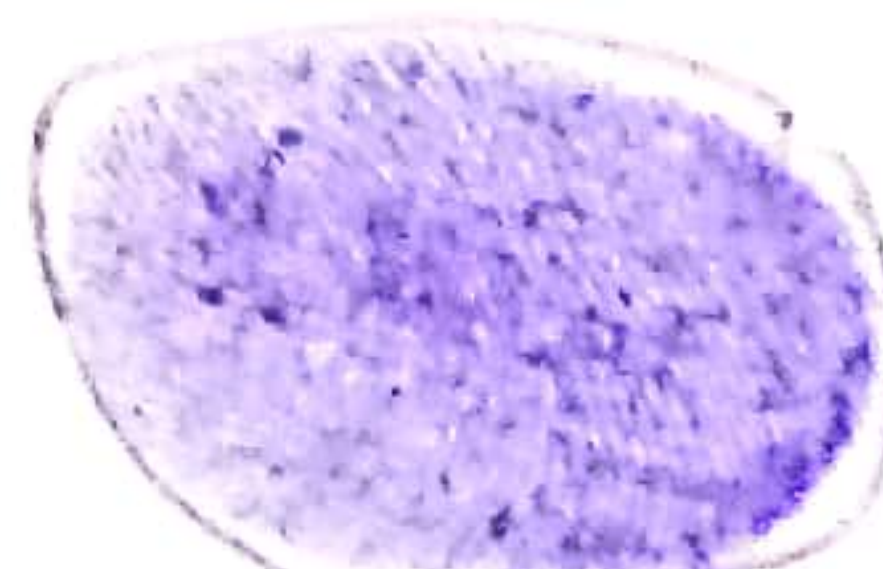
18 पुष्पा देवी

19 मेश्वर पादक

20  आगव देवी

21 हृत्पादा पादक

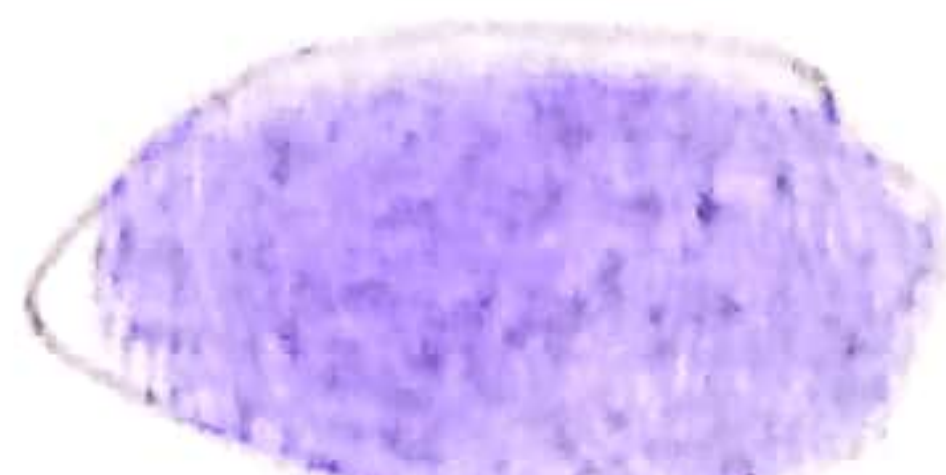
22  मातुल देवी

23  मातुल देवी

24 मुक्ता आगव

25 हृत्पादा

16 नन्दकिशोर पादक

17  पुष्पा देवी

18

19

20

(1) उपस्थिति :-
ग्राम सभा सदस्य :-

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम सिक्ति में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम सिक्ति में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम सिक्ति में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा सिक्ति को कोई आपत्ति नहीं है।

गोहन्नु यादव

ग्राम सभा अध्यक्ष

वसन्त यादव

वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

मुखिया 30/11/2020
ग्राम पंचायत मुखिया
प्रखण्ड - जिला - चतरा

ग्राम मोहनाडीह ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 01.12.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड चतरा के ग्राम मोहनाडीह.

में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज -चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	चतरा	मोहनाडीह	176	72	NIL	forest	NIL	0.959445
कुल								0.959445

(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

दीर्घमुड़ा

नीलविनोद मुड़ा

कुल देवी

बवीता देवी

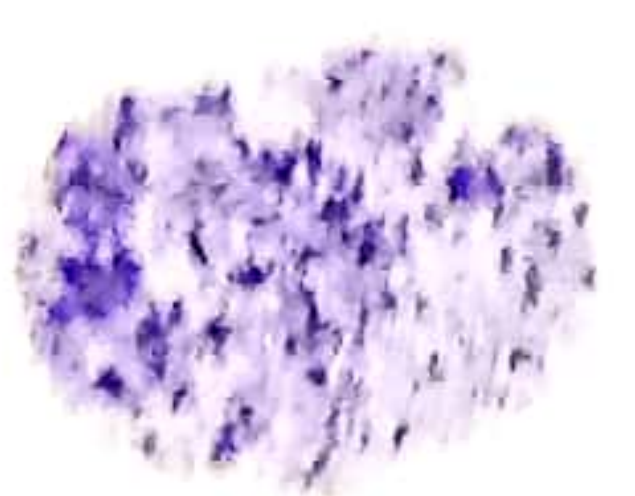
पतीया देवी

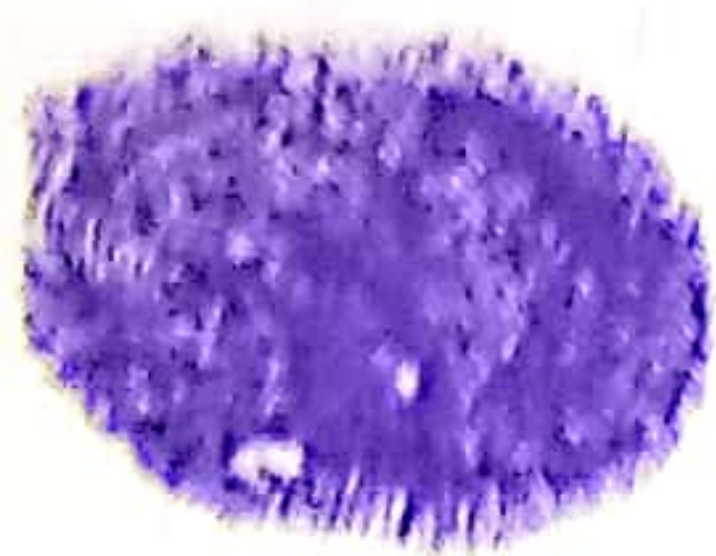
दृष्टी मुड़ा

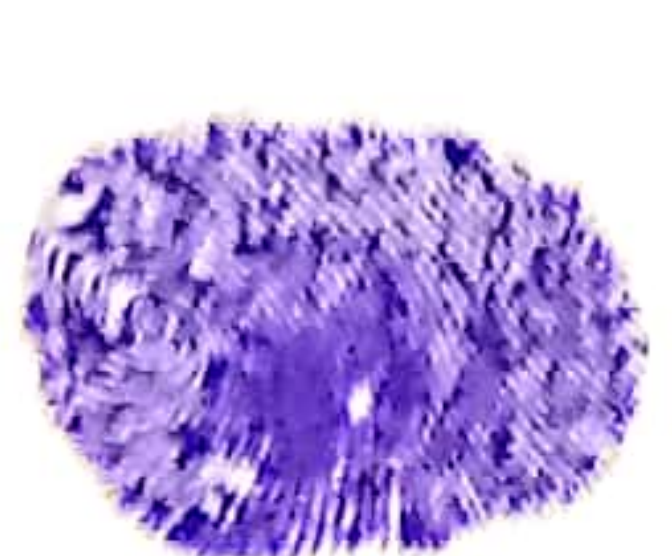
अशोक मुड़ा

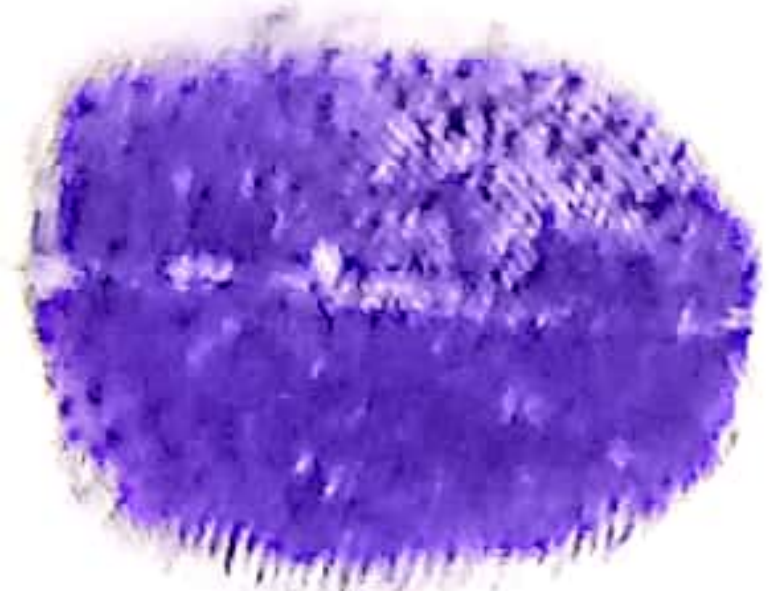
 નીલિ જમડયાં

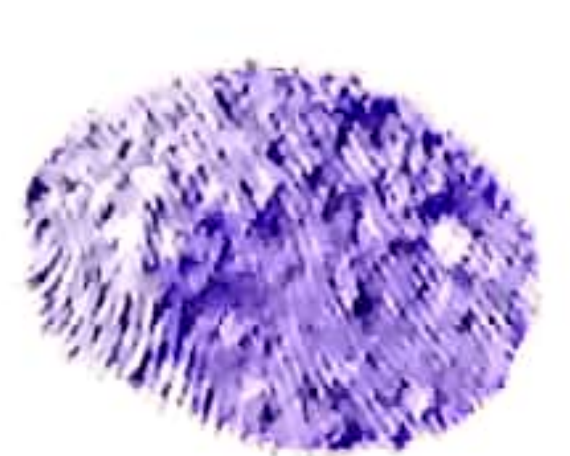
 ની રાજુ મુડયાં

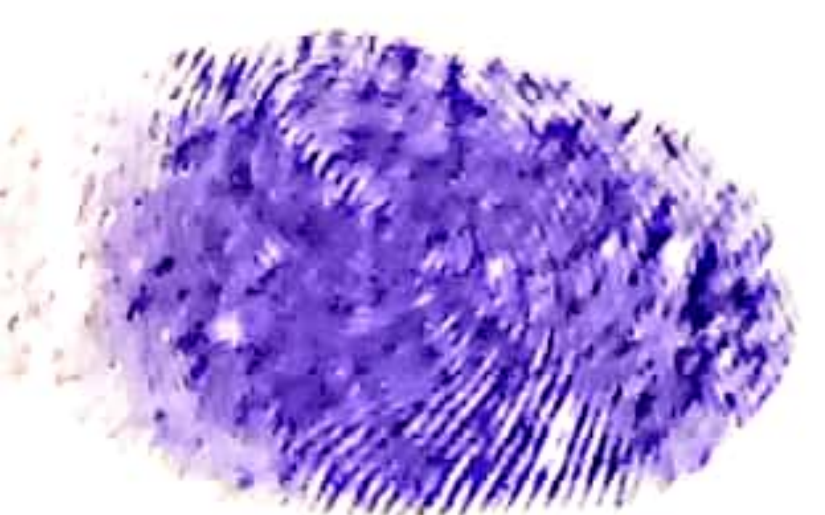
 વૃક્ષા દેવી

 જગદિશ મુડયાં

 આશા દેવી

 વનેશ્વર મુડયાં

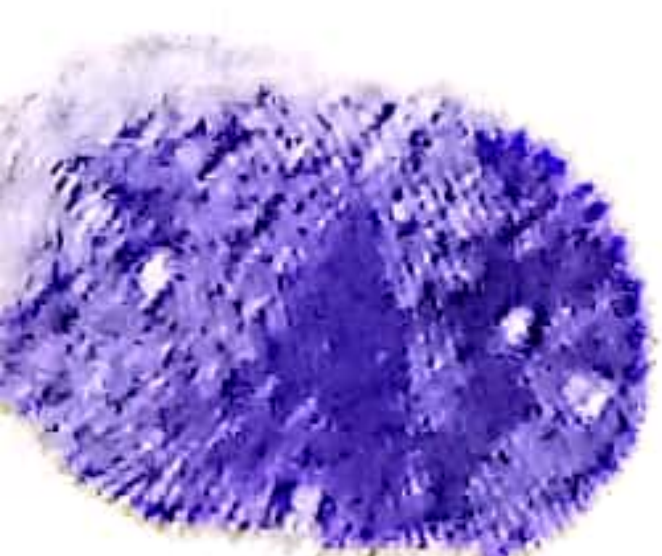
 રાજુ દેવી

 હરજી મુડયાં

 લલિત મુડયાં

 પિન્દુ મુડયાં

 વનદેવ મુડયાં

 પ્રેમ મુડયાં

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम गोहनाडीह में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

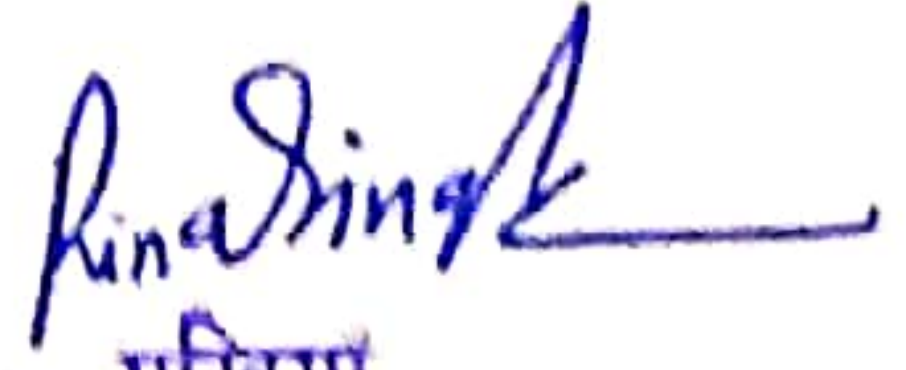
(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम गोहनाडीह में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

(4) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम गोहनाडीह में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा गोहनाडीह को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा अध्यक्ष
गन्तु मुंडिया

वनाधिकारी समिति अध्यक्ष
रमन मुंडिया


मुखिया
बचारसो-देवारिया
प्रतापगढ़-जिला-चतरा

ग्राम - बरीसाराम ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक ...30.11.2020... को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड चतरा के ग्राम..

बरीसाराम में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

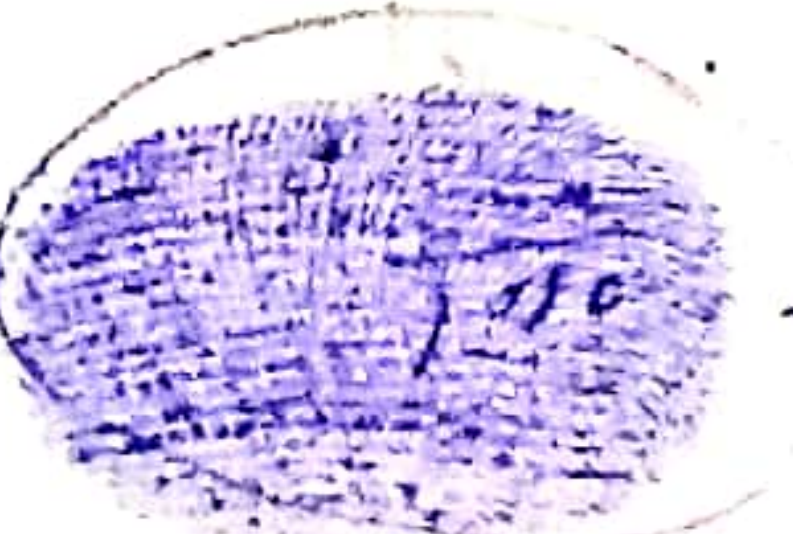
क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिजर्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	चतरा	बरीसाराम	164	2	NIL	Forest	NIL	0.5630
2	चतरा	बरीसाराम	164	2	NIL	NIL	JJ	0.1056
3	चतरा	बरीसाराम	164	32	NIL	NIL	JJ	0.8166
कुल								1.4852

(1) उपस्थिति :-

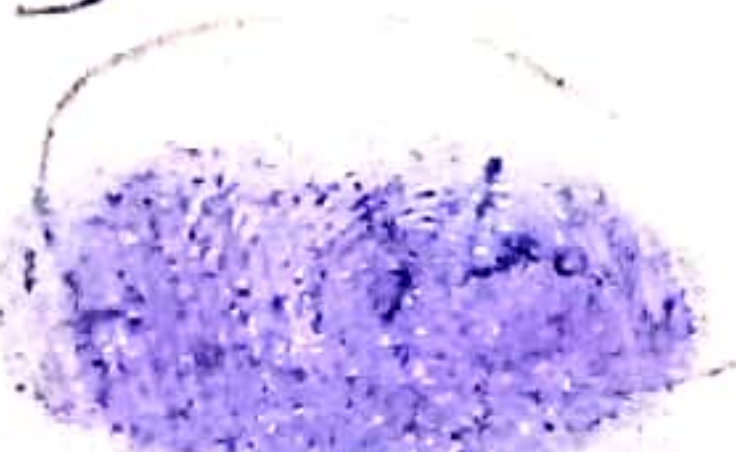
ग्रामसभा सदस्य:-

डा. अशोक यादव

 रुद्रेश यादव
Rudresh Yadav

 जगदीश यादव
Jagdish Yadav

अशोक यादव

 अजीत यादव
Ajit Yadav

ਮੁਨਾ ਦੇਵੀ

100 ਰੁਪਏ

100 ਰੁਪਏ

100 ਰੁਪਏ

100 ਰੁਪਏ

Susheel Kumar

ਮੁਨਾ ਦੇਵੀ

100 ਰੁਪਏ

100 ਰੁਪਏ

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम करी साराय में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम करी साराय में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम करी साराय में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा करी साराय को कोई आपत्ति नहीं है।

मुन्ना
ग्राम सभा अध्यक्ष

अजित कुमार
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

मुखिया 30/11/2020
ग्राम पंचायत मुखिया
प्रखण्ड - जिला - चतरा

ग्राम कूबा ग्राम वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1) दिनांक 30.11.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड चतरा के ग्राम कूबा में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमें 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

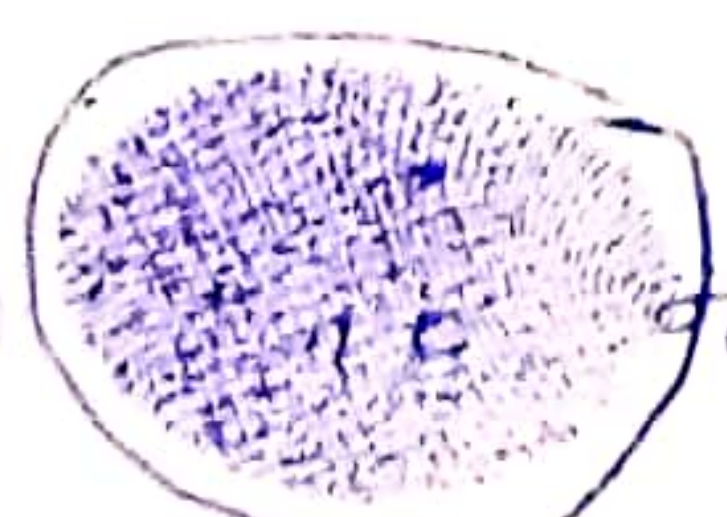
क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फॉरेस्ट	प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	चतरा	कूबा	165	2	NIL	forest	Nil	0.5181
2	चतरा	कूबा	165	2	NIL	NIL	JJ	1.5791
3	चतरा	कूबा	165	3	NIL	NIL	JJ	0.62704
4	चतरा	कूबा	165	202	NIL	NIL	JJ	0.02622
5	चतरा	कूबा	165	189	NIL	NIL	JJ	0.0798
कूल								2.82942

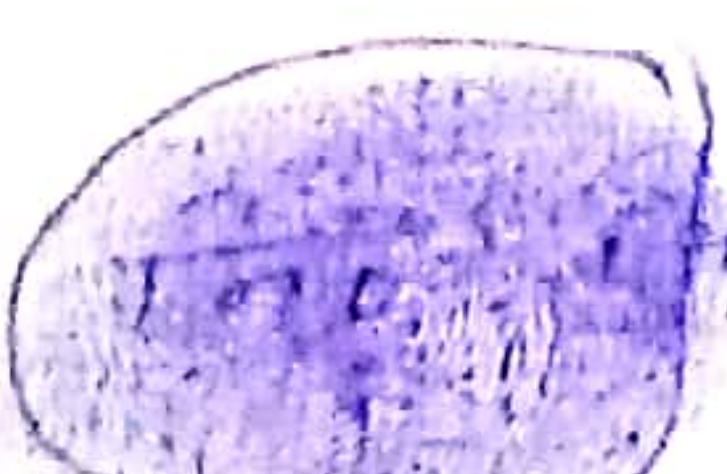
(1) उपस्थिति :-

ग्रामसभा सदस्य:-

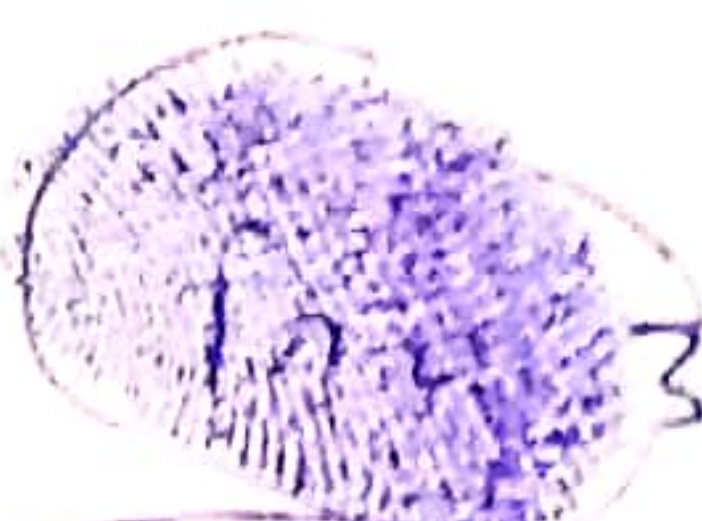
(1) - शिवलाल भादव

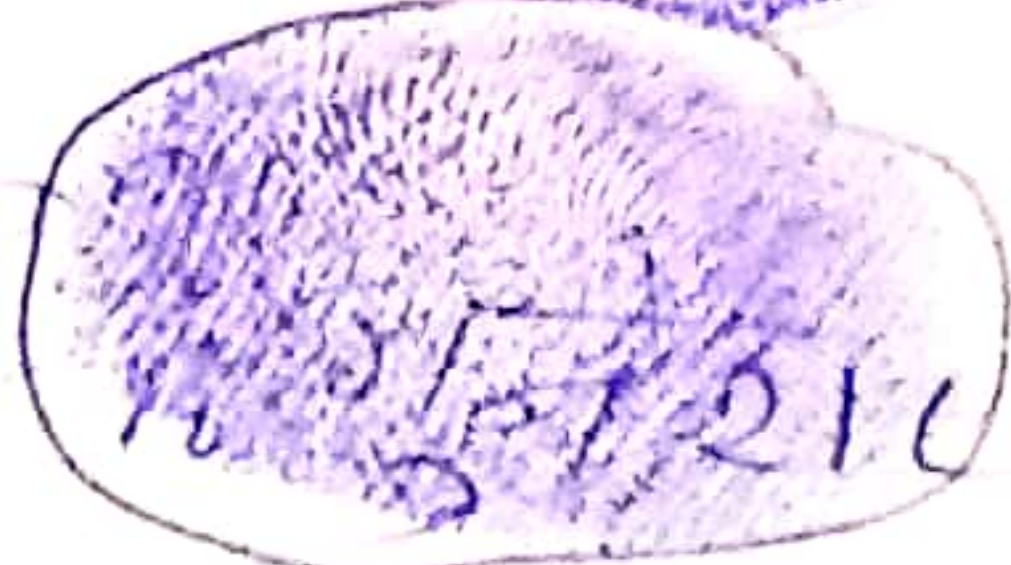
(2) Munna Kumar

(3)  माहेश कुमार

(4)  आनंद कुमार

3  12/11/20 गांव

6  12/11/20 गांव

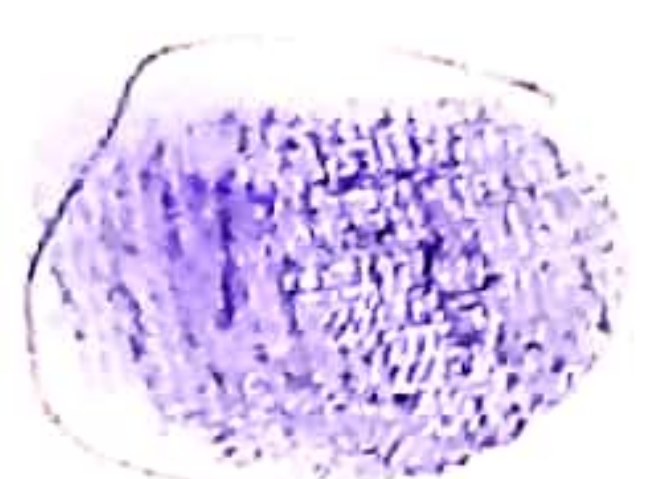
7  12/11/20 गांव

8 वि 6/16' गांव

9 12/11/20 गांव

10 कहर गांव

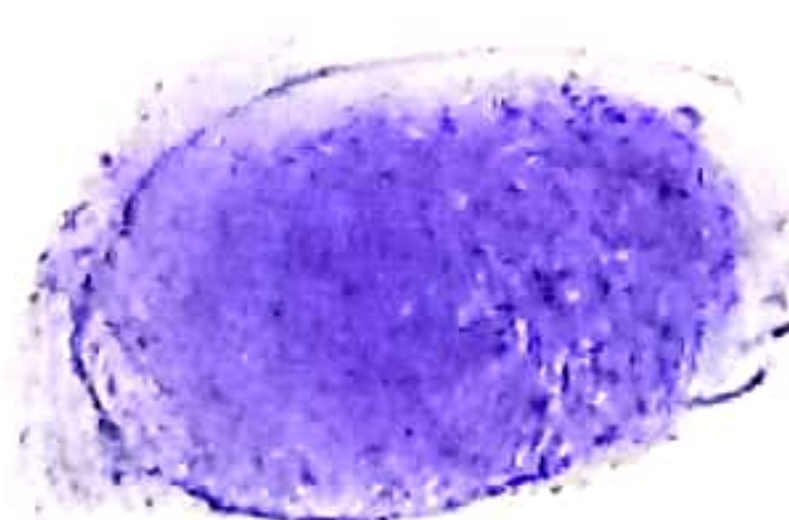
11 fenh-yidw

12  12/11/20 गांव

13 Rakesh Kumar

14 12/11/20 गांव

15 कुंज गांव

16  12/11/20 गांव

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया की ग्राम कुवा में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(3) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम कुवा में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम कुवा में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा कुवा को कोई आपत्ति नहीं है।

शिवराम यादव
ग्राम सभा अध्यक्ष

नरेश कुमार
वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

मुखिया
ग्राम पंचायत मुखिया
प्रखण्ड - जिला - चतरा
30/11/2020

ग्राम -संघरी ग्राम वनाअधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

(1)दिनांक 03.12.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड चतरा के ग्राम.

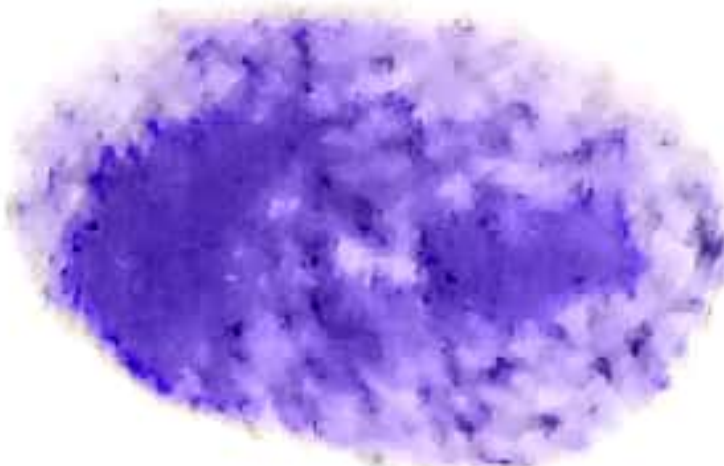
संघरी.. में ग्राम सभा की आहुति की गई जिसमे 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्राम सभा से अनापति प्रमाण निर्गत करने एवं सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

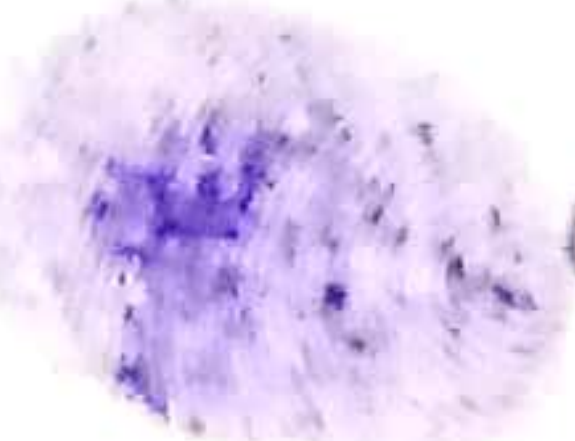
क्रमांक	प्रखंड	ग्राम	थाना नंबर	प्लॉट नंबर	रिज़र्व फोरेस्ट	प्रोटेक्टेड फोरेस्ट	जंगल झाड़ी	कुल अपयोजित भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1	चतरा	संघरी	171-3	87	NIL	forest	NIL	2.67849
कुल								2.67849
1	चतरा	संघरी	171-2	86	NIL	forest	NIL	4.58412
कुल								4.58412
1	चतरा	संघरी	171-1	80	NIL	NIL	JJ	0.2951
2	चतरा	संघरी	171-1	85	NIL	forest	NIL	0.8527
3	चतरा	संघरी	171-1	56	NIL	forest	NIL	0.9473
कुल								2.0951

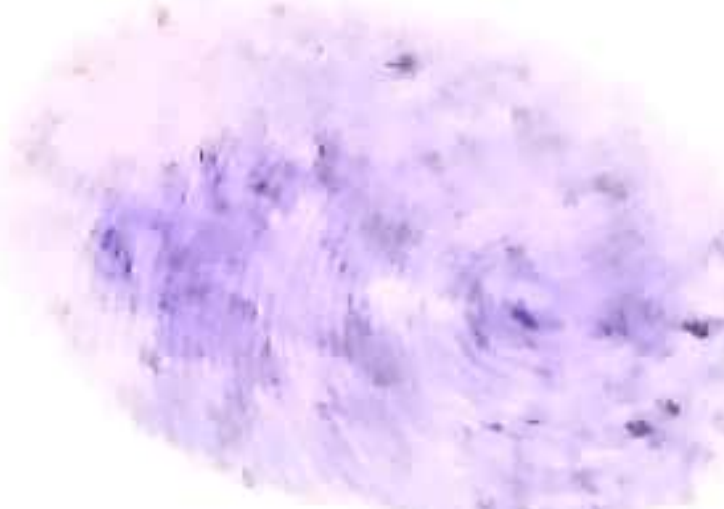
4	चतरा	संघरी	171-1	56	NIL	forest	NIL	0.94725
कुल								2.24153

ग्रामसभासदस्य:-

(2) सर्वसम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम संधरी में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

ਨਿੰ  ਮੇਏਫ਼ਰ ਗਮ੍ਹ

ਨਿੰ  ਵਸਾਥਿ ਗਮ੍ਹ

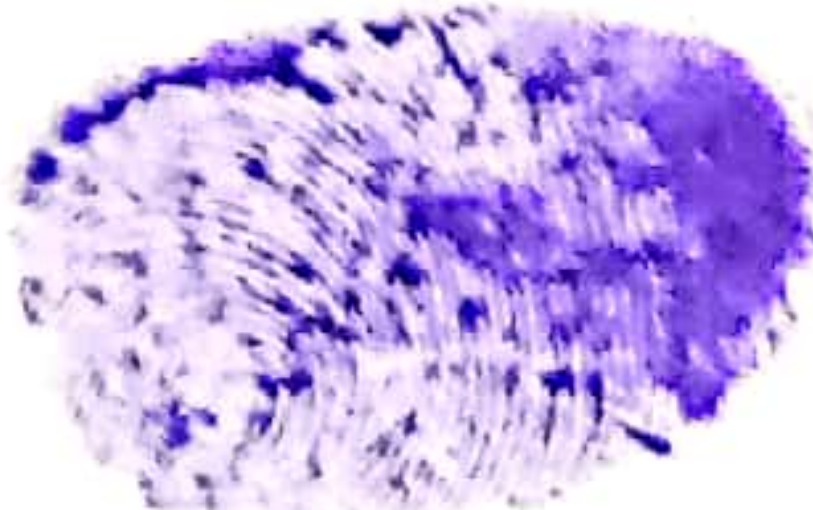
ਨਿੰ  ਪਾਨ ਗਮ੍ਹ

ਗਿਵਾਨਾਮ ਗਮ੍ਹ

 ਲੋਕਾ ਤੀ

ਵਿਰਭੁ ਗਮ੍ਹ

ਵਸਿਥਿ ਗਮ੍ਹ

 ਤੇਏਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ੀਆਂ

 ਤੇਏਫ਼ਰ

निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है ।

(4)) सर्वसम्मति से पारित किया गया की ग्राम संधरी में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

(5) सर्वसम्मति से पारित किया गया की 132 KV D/C हन्टरगंज - चतरा ट्रांसमिशन लाइन योजना हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में ग्राम सभा संधरी को कोई आपत्ति नहीं है ।

सोहन गंगु

ग्राम सभा अध्यक्ष

हमेश कुमार

वनाधिकारी समिति अध्यक्ष

प्रमोद
मुखिय 12/12/2020
ग्राम पंचायत मुखिया
प्रखण्ड, जिला-चतरा